वार्षिक रिपोर्ट

2003-2004

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

मनोविकास नगर, सिकंदराबाद - 500 009 आन्ध्रप्रदेश, भारत.

दूरभाष : 040-27751741 फेक्स : 040-27750198

ई.मेइल : hyd2_dirnimh@sancharnet.in वेबसाईट : www.dirnimhindia.org

वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2004 को समाप्त आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

राशी रुपयों में

अनुसूची - 20 - कार्यक्रम तथा सेवाओं पर व्यय	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
मानव संसाधन विकास	8121856	9046609
अनुसंधान एवं विकास	6082573	3538309
सेवा प्रतिमानों का विकास	1986310	1482657
परामर्शी सेवाएँ	991697	713015
प्रलेखन तथा प्रचार	2985962	4773170
विस्तारण तथा अउटरीच सेवाएँ	10469782	5741842
स्टाफ कल्याण खर्च	170595	106546
कुल	30808775	25402148

अनुसूची 20क - स्थापना खर्च	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क) वेतन तथा मजदूरी	18544323	19226996
ख) भत्ता तथा बोनस	1419430	
ग) प्राविडेंट निधि को अंशदान		
घ) अन्य निधि (उल्लेख करें) को अंशदान		
च) कर्मचारी सेवा निवृत्ति तथा टेर्मिनल सुविधाओं पर व्यय	1880147	3033399
छ) अन्य (उल्लेख करें)		
कुल	21843900	22260395

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

अनुबंध
(अनुसूची - 20)

विस्तारण तथा अउटरीच सेवाएँ

1. गुलबर्गा	600000
2. मदुरै	863991
3. कोजीकोड	750000
4. थ्रिसुर	636160
5. तिरुवनन्तपुरम	736521
6. थूतुकूडी	532055
7. उज्जैन	750000
8. वर्धा	607482
9. मान्ड्या	1071275
10. करीमनगर	1019155
11. दिवास	1076096
12. सतना	500000
13. दामो	500000
14. बस्तर	500000
15. जाशपुर	500000
16. इन्दौर	200000
कुल	10842735
घटाएँ : वसूलियाँ	12014
खाते में लिए गये नेट राशी	10830721

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2004 को समाप्त आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(राशी रुपयों में)

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय, आदि	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1. समर्थन सेवाओं पर खर्च	3404027	4523080
2. बिजली तथा विद्युत शक्ति	1461671	1578112
3. बीमा	105919	116025
4. मरम्मत तथा रखरखावा	1591752	2043454
5. वाहन चलन तथा रखरखावा	705953	672908
6. डाक, दूरभाष तथा संप्रेषणीय खर्च	1299736	1212360
7. मुद्रण व स्टेशनरी	862032	1364005
8. यात्रा तथा परिवहन खर्च	576187	682125
9. लेखा परीक्षा परिश्रमी	121345	123923
10. आस्तियों के विक्रय से नष्ट	530292	41889
11. विज्ञापन तथा प्रचार	450198	623937
12. विविध खर्च	497670	392644
कुल	11606782	13374462

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2004 को समाप्त आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(राशी रुपयों में)

अनुसूची 22 - अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1. समर्थन सेवाओं पर व्यय		
ख) संस्थानों / संगठनों को दी गई सब्सिडी		
कुल	शून्य	शून्य
नोट: संस्थानों के नाम, उनके क्रियाकलाप, अनुदान / सब्सिडी की राशी सहित संलग्न करना चाहिए।		

वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2004 को समाप्त आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(राशी रुपयों में)

अनुसूची 23 - ब्याज	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क) स्थिर ऋणों पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक खर्च सहित)		
ग) अन्य (उल्लेख करें)		
कुल	शून्य	शून्य

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

लेखों संबंधी नीति

निम्नलिखित के संबंध में सही लेखा खाताओं को रखने के लिए, वर्ष 1999-2000 से संस्थान द्वारा अनुपालन की जाने वाली लेखों संबधी नीति निम्नानुसार है:-

क) सभी राशियों की प्राप्ति तथा खर्च और रसीद तथा भुगतान से संबंधित विषय,

ख) सभी प्राप्त / वसूली योग्य रेवेन्यु / आय / तथा भुगतान / देय व्यय।

ग) वस्तुओं की खरीदी तथा बिक्री, और

घ) संस्थान के सभी कार्यकलापों के सही और स्पष्ट रूप देने के लिए सभी आस्तियाँ और दायित्व

1. संस्थान के लेखें एक्रुयल आधार पर रखें जाएंगे, ताकि उनके मुख्य लक्षणों की प्राप्ति सुनिश्चित कर सकें, जैसे (क) रेवेन्यु को मान्यता दी जाती है क्यों कि नकद प्राप्त हो या नहीं, वह अर्जित की जाती है, तथा (ख) ऐसे रेवेन्यु के प्रति खर्च बराबर रहेगा।

2. चूँकी संस्थान के लेखें एक्रुयल के आधार पर होंगे, अत: कट आफ तिथि 15 अप्रैल रहेगा।

3. संस्थान के लेखें बुक कीपिंग के डबल एन्ट्री पद्धति में रखें जाएंगे।

4. सही पहचान तथा रिकार्ड के लिए, लेखों के शीर्षों की कोडीकरण करना चाहिए।

5. संस्थान के लेखों के विवरण निम्नप्रकार होना चाहिए।

   i) रसीद तथा भुगतान खाता, वर्ष .....

   ii) आय तथा व्यय खाता, वर्ष .....

   iii) 31 मार्च..... को समाप्त तुलन पत्र

स्पष्टीकरण:

i) रसीद तथा भुगतान खाता

क) सभी वास्तविक रसीदों का खाता रखें,

ख) सभी वास्तविक भुगतानों का खाता रखें

ii) आय तथा व्यय खाता

वास्तविक रसीद तथा भुगतान के प्रत्येक मद का खाता रखने के अतिरिक्त, जमा की गई आय, तथा देय दायित्व का प्रत्येक लेख के शीर्ष को जोडना चाहिए ताकि सही प्रस्तुती हो और आय तथा व्यय के सर्वोपरि स्थिति जान सकें।

iii) मार्च 31 की तुलन पत्र

दायित्व	आस्तियाँ
1) मूल निधि	1) स्थिर आस्तियाँ, ह्रास घटाएँ
2) रिजर्व	2) निवेश
3) हस्तगत ऋण	3) वर्तमान आस्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम
4) अहस्तगत ऋण	4) विविध खर्च (रद्द कर दी गई तक)
5) वर्तमान दायित्व	5) आय तथा व्यय खाता

नोट: लेखों के भाग के रूप में अनुसूचियों जहाँ पर आवश्यक हो, तैयार कर, लेखों के साथ संलग्न करना चाहिए।

6. ह्रास

अब तक, संस्थान द्वारा भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय प्राप्त हुए अनुदानों से खरीदी आस्तियों पर कोई ह्रास नहीं दिया जा रहा है। परन्तु, लेखा परीक्षा के समय, आस्तियों पर ह्रास देना चाहिए। यदि ह्रास वर्ष 1984-85 से दी जा रही हो तो, ऐसे ह्रास पर खर्चा संस्थान के मूल निधि खा जाएगी। अत: ह्रास देने के लिए नीति बनाना प्रामाणिक बन जाता है। तदनुसार, ह्रास की प्रावधान के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शनों का अनुपालन करना होगा:

i) 1.4.1999 को या तत्पश्चात् प्राप्त स्थिर आस्तियों पर वर्ष-वार ह्रास देना,

ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 32 के अनुसार "रिटन डाउन वैल्यु पद्धती" की जगह "स्ट्रैट लाईन मेथड" अपनाएँ।

iii) "स्ट्रैट लाईन पद्धति" के अंतर्गत हर एक आस्ती का जीवन प्रमाण और ह्रास के दर निम्नानुसार है-

क) भूमी .. कोई ह्रास नहीं

ख) शेड या वाल पार्टीशन जैसे अस्थाई भवन .. कोई जीवन नहीं .. 10% ह्रास
वाल पार्टीशन्स को दिया जाना चाहिए।

ग) कार्यालय तथा आवासीय क्वार्टर जैसे
स्थाई भवन .. 50 वर्ष का जीवन, 2% ह्रास

घ) प्लैन्ट एन्ड मशीनरी तथा एक्विपमेंट
1) ए.सी. प्लैंट .. 10 वर्ष .. 10%
2) मशीनरी .. 10 वर्ष .. 10%
3) क) कार्यालय उपस्कर आडियो तथा वीडियो सहित
ख) कम्प्युटर .. 5 वर्ष .. 20%

च) फर्नीचर, फिक्स्चर, तथा फिटिंग
1) फर्नीचर .. 10 वर्ष .. 10%
2) फिक्स्चर तथा फिटिंग .. कोई जीवन नहीं .. 100%

छ) परिवहन वाहन .. 6वर्ष .. 15%

ज) पुस्तकालय के पुस्तकें तथा जर्नल .. कोई जीवन नहीं .. 100%

झ) टी.वी.स्पाट्स् .. कोई जीवन नहीं .. 100%

स्पष्टीकरण :

1. अ) भवन

i) नए भवनों के निर्माण में, मौजूदा भवनों के अतिरिक्त निर्माण या संशोधन, आस्ती के रूप में बताया जाएगा तथा आस्तियों के मूल्य को जोडा जाएगा।

ii) मौजूदा भवनों के अतिरिक्त निर्माण या संशोधन, जिसका खर्च 5000/- रुपयों से कम हो, वह रेवेन्यु खर्च माना जाएगा और वर्ष के दौरान की खर्च से बट्टे खाते में डाला जाएगा।

iii) मरम्मत व रखरखावा पर खर्च की गई राशी रेवेन्यु खर्च माना जाएगा और वर्ष के दौरान की खर्च से बट्टे खाते में डाला जाएगा।

उदा : वाईट वाश, कलरिंग, रिप्लेसमेंट, मरम्मत, आदि।

ख) प्लैंट एन्ड मशीनरी

i) प्लैंट, मशीनरी तथा एक्विपमेंट पर 2,500/- रुपये या अधिक राशी मूल खर्च के रूप में माना जाएगा और वर्ष के दौरान वह आस्ती माना जाएगा। 2,500/- रुपयों की राशी से कम खर्च को रेवेन्यु खर्च माना जाएगा तथा वर्ष के दौरान की खर्च से बट्टे खाते में डाला जाएगा

ii) मरम्मत, पुन:स्थापन या रखरखावा रेवेन्यु खर्च माना जाएगा तथा वर्ष के दौरान माना जाएगा।

ग) फर्नीचर, फिक्स्चर तथा फिटिंग

i) फर्नीचर पर की गई कोई भी खर्च को पूंजी में परिणत किया जाएगा तथा आस्तियों को जोडा जाएगा, बशर्ते कि यह खर्च 1000/- रुपयों की राशी से अधिक हो।

ii) मरम्मतों पर की गई खर्च रेवेन्यु खर्च माना जाएगा तथा वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला जाएगा

iii) फिक्स्चर्स पर की गई कोई भी खर्च रेवेन्यु खर्च माना जाएगा तथा वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला जाएगा

घ) परिवहन वाहन

i) कोई बड़े मरम्मतों पर की गई खर्च, परिवहन वाहन के श्रामिक सहित, आस्तियों में दिखाया जाएगा, बशर्ते कि, यह खर्च 20,000/- रुपयों से अधिक हो और यह आस्ती माना जाएगा।

IV. आस्ती खरीदी गई तिथि जो भी हो, ह्रास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए दिया जाएगा ।

ह/-

लेखाधिकारी, एन.आई.एम.एच.

वार्षिक लेखों के अंग स्वरूप टिप्पणियाँ

1. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के वर्ष 2002-03 के लेखें निम्न रूपों में संकलन किया गया : i) रसीद तथा भुगतान खाता, (ii) आय तथा व्यय खाता, और (iii) तुलन पत्र । वर्ष 2003-04 और तब से, यह फार्मैट, केन्द्रीय स्वायत्त निकाय (गैर-लाभकारी संगठन व तत्समान संस्थान) के वित्तीय विवरण के रूप मे बदल दिया गया है जिसका कार्यकारिणी परिषद् द्वारा अपने 23.2.2004 को सम्पन्न हुई 70वाँ बैठक के दौरान अनुमोदित की गई जो निम्नानुसार है:

   क) 31 मार्च, 2004 को तुलन पत्र

   ख) आय तथा व्यय खाता वर्ष 2003-04

   ग) फार्मैट के अनुसार अनुसूचियाँ 1-25 तक

   घ) रसीद तथा भुगतान खाता वर्ष 2003-04

2. स्थिर आस्तियाँ : अनुसूची 8

क) 31 मार्च, 2003 तक की 1,84,08,395/- राशी रुपयों का स्थिर आस्तियों के नेट ब्लाक 31.3.2003 की तुलन पत्र में दी गई के अनुसार ही दिखाया गया। फिर भी, नई संशोधित फार्मैट के अनुसार दी गई शीर्षों के अनुसार 31 मार्च, 2004 को अलग-अलग बनाया गया।

ख) 1.4.1999 के पश्चात् की आस्तियों पर लेखे नीति के अनुसार ह्रास दिया गया।

ग) 31 मार्च, 2003 को दिखाई गई 1,70,35,745/- राशी रूपयों के (नेट ब्लाक) उपकरणों में कार्यालय उपकरण, बिजली स्थापन, आदि सम्मिलित हैं। परन्तु, 1.4.2003 और उसके बाद से नई फार्मैट के अनुसार कार्यालय उपकरण, बिजली स्थापन, ट्यूब वेल तथा पानी आपूर्ती पद्धतियाँ अलग-अलग दर्शाएँ गये हैं।

घ) भवन की 5,97,21,084/- रुपयों की राशी में ट्यूब वेल तथा पानी आपूर्ती भी शामिल है जिसका अलग नहीं कर पाये।

च) पुस्तकालय के पुस्तकों के 56,53,965/- रुपयों की राशी में 1.4.1999 से पहले भी खरीदी गई पुस्तकें दर्शायी गई हैं। लेखा नीति के अनुसार ह्रास का कोई प्रावधान नहीं किया गया।

3. वर्ष 2003-04 के लिए आर.आर.सी. जबलपुर के लेखें अभी प्राप्त होना है। रसीद तथा भुगतान खाते में अनुदान प्राप्ती के बारे में तथा अनुदानों का आर.आर.सी. जबलपुर को पुन:अंतरण के बारे में ही उल्लेख किया गया।

4. लेखें एक्रुयल आधार पर तैयार किये गये हैं।

5. लेखे नीति के अनुसार 1.4.1999 को तत्पश्चात प्राप्त आस्तियों पर स्ट्रैट लाईन पद्धति में ह्रास का प्रावधान किया जा रहा है।

6. लेखों के नीति बनाएँ गये हैं और अनुपालन किया जा रहा है।

7. डाक व तार से 96,090/- की जमा राशी का विश्लेषण कर बट्टे खाते में डाला जाएगा

8. ह्रास घटाने के बाद 16,19,82,518/- रूपयों के राशी के स्थिर आस्तियाँ रहे।

9. कुल 16,98,31,434/- राशी रुपयों रसीदों में से, (जिसमें आदि शेष, अनुदान सहायता, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुदान, अन्य संगठनों से रसीद, ऋण तथा अग्रिम तथा आंतरिक रसीद सम्मिलित हैं), विभिन्न कार्यकलापों पर खर्च की गई राशी 14,82,33,879/- रुपये हैं और शेष रकम 1,37,58,639/- रूपये है।

10. वर्ष 2003-04 के लिए आस्तियों तथा भंडार की भौतिकीय जाँच का कार्य जारी है।

11. मंत्रालय द्वारा प्रदान अनुदानों पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई और कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित नहीं है।

12. जहाँ कहीं आवश्यक हो, आंकडों का पुन: वर्गीकरण किया गया।

ह/-

लेखाधिकारी

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद
रसीद तथा भुगतान खाता - वर्ष 2003-04

(राशी रुपयों में)

	रसीद	2002-03	2003-04		भुगतान	2002-03	2003-04
को	आदि शेष	रु.	रु.	से		रु.	रु.
	क) हाथ रोकड	67599	42342		मानव संसाधन विकास	9046609	8121856
	ख) बैंक रोकड	4177024	4472839		अनुसंधान और विकास	3538309	6005385
	ग) डाक घर रोकड	338727	341562		सेवा प्रतिमानों का विकास	1482657	1986310
	घ) पेन्सन तथा ग्रैचुइटी निधि खाता	26488	26488		परामर्शी सेवाएं	713015	991697
	च) एन.आई.एम.एच. एडिप योजना	8902423	3167280		प्रलेखन तथा प्रचार	4773170	4055392
	सहायता अनुदान	77100000	90710000		विस्तारण तथा आउटरीच कार्यक्रम	5741842	10830721
	एन.आई.एम.एच. एडिप योजना	32500000	39840000		उत्तर पूर्वी सेवाएं	7325055	5181559
	विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सहायता अनुदान	344000	9889502		भूमि	3495452	4694335
	अन्य संगठनो से रसीद	6893500	8256000		भवन	7009214	0
	ऋण व अग्रिम की वसूली	1385937	1454130		सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्यों को अग्रिम		30500000
	ऋण व अग्रिम	2962949	317232		उपकरण	1829044	2849531
	बैंक ब्याज तथा डाक घर खाता	32012	64401		फर्नीचर	238991	460696
	आंतरिक रसीद	4224377	5649658		एडिप योजना	38235143	34992631
	आर.आर.सी.,जबलपुर	11300000	5600000		आर.आर.सी, जबलपुर को अनुदान का अंतरण	11300000	5600000
					टी.सी.ए.डी.	2500000	0
					वसूली /समंजनीय अग्रिम	7405888	1635020
					स्थापन खर्चा	37570136	33880096
					रोकड और बैक आदिशेष		
					हाथ रोकड	42342	44500
					बैक रोकड	4472839	9615601
					डाक घर रोकड	341562	344967
					पेन्शन खाता रोकड	26488	26488
					एडिप खाता रोकड	3167280	8014649
	कुल	150255036	169831434			150255036	169831434

ह/-
लेखा अधिकारी

ह/-
उपनिदेशक (प्र)

ह/-
निदेशक

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद
रसीद के विवरण - वर्ष 2003-04

(राशी रुपयों में)

क्रं सं.	रसीद	रा.मा.वि.स.	माडल स्कूल	रा.मा.वि.स.	रा.मा.वि.स.	रा.मा.वि.स.	ग्रास	कुल
(1)	(2)	सिकन्दराबाद	नई दिल्ली	नई दिल्ली	मुम्बई	कोलकत्ता	योग	योग
1	आदि शेष							
अ)	हाथ रोकड	40000	342	0	1000	1000	42342	42342
आ)	बैंक रोकड						0	
(i)	पी.एन.बी. खाता नं. 1	1414033	1273281	201832	84368	157110	3130624	
(ii)	पी.एन.बी. खाता नं. 2	1296477					1296477	
(iii)	एस.बी.ओ.पी. खाता नं.20	45738					45738	4472839
इ)	डाक घर						0	
(i)	खाता नं. 128413(एच.पी.ओ.)	97306					97306	
(ii)	खाता नं.760251(एम.वी.एन.)	244256					244256	341562
ई)	पेशंन तथा ग्रैचुईटी खाता	26488					26488	26488
उ)	एन.आई.एम.एच. एडिप योजना	3167280					3167280	3167280
2	सहायता अनुदान	90710000	5500000	2700000	1500000	1500000	101910000	101910000
2अ	एडिप सहायता अनुदान	39840000					39840000	39840000
3	विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदान	9889502			5433000		15322502	15322502
4	अन्य संगठनों से प्राप्तियाँ	8256000					8256000	8256000
5	ऋण व अग्रिम समायोजन / भुगतान	317232					317232	317232
6	बैंक ब्याज तथा पी.ओ.खाता						0	
(1)	एस.बी.ओ.पी. खाता न.20	0					0	
(ii)	खाता नं. 128413 (एच.पी.ओ.)	3406	37313	7563	9175	6944	64401	64401
(iii)	खाता नं. 760251 (एम.वी.एन.)	0						

क्रं सं.	रसीद	रा.मा.वि.स.	माडल स्कूल	रा.मा.वि.स.	रा.मा.वि.स.	रा.मा.वि.स.	ग्रास	कुल
(1)	(2)	सिकन्दराबाद	नई दिल्ली	नई दिल्ली	मुम्बई	कोलकत्ता	योग	योग
7	ऋण तथा अग्रिम की वसूली	1434142	17888		2100		1454130	1454130
8	आंतरिक रसीद						0	
(i)	एफिलियेशन शुल्क	612100					612100	
(ii)	पाठ्यक्रम शुल्क	2447215		335000	263734	41344	3087293	
(iii)	डी.एस.ई. (एम.आर.)पाठ्य सामग्री की बिक्री	30810			15837		46647	
(iv)	विशेष शिक्षा केन्द्र तथा स्कूल शुल्क	40475	44758				85233	
(v)	सामान्य सेवाएँ	108048			4001	20452	132501	
(vi)	पुस्तकालय	594830	2453	27126	4614	42223	671246	
(vii)	अतिथि घर	105806	700				106506	
(viii)	परिवार कुटीर	23510					23510	
(ix)	स्टाफ क्वाटर / स्टाफ कार	246559	31650				278209	
(x)	क्वाटर गार्बेज	9420					9420	
(xi)	टेंडर के विक्रय	2100	1800				3900	
(xii)	जी.एस.एल.आई.सी.	256535					256535	
(xiii)	स्कॉलरशिप	71110					71110	
(xiv)	ई.एम.डी.	35000	15000				50000	
(xv)	डोनेशन्स	6071	1500				7571	
(xvi)	रायल्टीज	55747					55747	
(xvii)	खेल का मैदान की किराया	57900					57900	
(xviii)	आस्तियाँ के विक्रय	0			16501		16501	
(xix)	एन.आई.एम.एच. रिक्रियेशन क्लब	4820					4820	
(xx)	छुट्टी का वेतन तथा पेंशन अंशदान	0					0	
(xxi)	अन्य विविध	34644		36935	1330		72909	5649658
9	आर .आर.सी., जबलपुर	5600000					5600000	5600000
	कुल राशी	167124560	6926685	3308456	7335660	1769073	186464434	186464434

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद
व्यय का विवरण - वर्ष 2003-04

(राशी रुपयों में)

क्रं सं.	व्यय	रा.मा.वि.स.	माडल स्कूल	रा.मा.वि.स.	रा.मा.वि.स.	रा.मा.वि.स.	ग्रास	कुल
(1)	(2)	सिकन्दराबाद	नई दिल्ली	नई दिल्ली	मुम्बई	कोलकत्ता	योग	योग
1	मानव संसाधन विकास							
अ)	शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रो की वित्तिय सहायता	3509426					3509426	
आ)	दीघ्र कालीन पाठ्यक्रम	2380309	181737	265830	728408	148244	3704528	
इ)	अल्प कालीन पाठ्यक्रम	579002	56538	18377	86187	58333	798437	
ई)	व्यावसायिक विकास कार्यक्रम	109465					109465	8121856
2	अनुसंधान एवं विकास	6005385					6005385	6005385
3	सेवा प्रतिमानों की विकास						0	
अ)	एर्ली इन्टरवेन्शन कार्यकम	663662					663662	
आ)	सेवाएँ	467341			2254	164500	634095	
इ)	दवाईयॉ	579882					579882	
ई)	खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम	90671	18000				108671	1986310
4	कन्सलटेन्सी सेवाएँ						0	
अ)	राष्ट्रीय स्तर कार्यशाला एवं सगोंष्ठी	577704		56510			634214	
आ)	एन.जी.ओ. निरीक्षण एवं मार्गदर्शन	357483					357483	991697
5	प्रलेखन एवं प्रचार						0	
अ)	जन जागरूकता	784085	7520				791605	
आ)	सूचना तकनीकी	376515					376515	
इ)	पुस्तकालय की पुस्तकें	951012	4466	18271	27390	18291	1019430	
ई)	प्रलेखन	797221		3869			801090	
उ)	प्रकाशन तथा पुनमुद्रण	1059777			3600	3375	1066752	4055392

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

क्रं सं.	व्यय	रा.मा.वि.स.	माडल स्कूल	रा.मा.वि.स.	रा.मा.वि.स.	रा.मा.वि.स.	ग्रास	कुल
(1)	(2)	सिकन्दराबाद	नई दिल्ली	नई दिल्ली	मुम्बई	कोलकत्ता	योग	योग
6	विस्तारण एवं आउटरीच सर्विस	10830721					10830721	10830721
7	योजनाबद्ध संरचना						0	
अ)	भूमि(नोएडा-2767035+मुम्बई-1927300	4700035			1927300		6627335	6627335
आ)	भवन	0			0		0	
इ)	सी.पी.डब्ल्यू.डी. को अग्रिम	30500000			30500000		34000000	34000000
ई)	उपकरण	2515557	54780	193134	13270	72790	2849531	2849531
उ)	फर्नीचर	212845	84880	95814	17050	50107	460696	460696
ऊ)	परिवहन वाहन	0					0	41170527
क)	एडिप व्यय	34992631					34992631	34992631
ख)	आर.आर.सी.जबलपुर	5600000					5600000	5600000
8	एम.एस.एम.डी.सी., नई दिल्ली	5500000					5500000	5500000
9	क्षेत्रीय केन्द्र	5700000					5700000	5700000
10	उत्तर पूर्व सेवाएँ	4958420				223139	5181559	5181559
11	वेतन, मजदूर व भत्ता						0	
क)	वेतन	11427673	3753033	1611662	488796	605788	17886952	
ख)	मजदूरी	576785	39900	15370	15619	9697	657371	
ग)	ओवर टाईम भत्ता	57095	9471	9339		2029	77934	
घ)	टयूशन फीस की प्रतिपूर्ती	25500	1440	1440		480	28860	
च)	मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति	965795	131832	35454	11975	18824	1163880	
छ)	रियायती छुट्टी यात्रा	106259	32422	2912		7163	148756	
ज)	यात्रा भत्ता	350668	42654	137486	23464	21915	576187	
झ)	कर्मचारी प्रशिक्षण	170595					170595	

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

क्रं सं.	व्यय	रा.मा.वि.स.	माडल स्कूल	रा.मा.वि.स.	रा.मा.वि.स.	रा.मा.वि.स.	ग्रास	कुल
(1)	(2)	सिकन्दराबाद	नई दिल्ली	नई दिल्ली	मुम्बई	कोलकत्ता	योग	योग
ट)	पेन्शन व ग्रेजुएटी	1880147					1880147	
ठ)	ऋण व अग्रिम						0	
i)	हाउस बिल्डिग अग्रिम	168125					168125	
ii)	कन्वेयन्स अग्रिम	486000					486000	
iii)	कम्प्यूटर अग्रिम	80000					80000	
iv)	फेस्टिवल अग्रिम	45000	18000	3000	1500	6000	73500	
v)	पखां अग्रिम	0					0	
vi)	अन्य अग्रिम	0					0	
12	सेवाएँ							
क)	सैनिटेशन व क्लीनिंग	1019859	252199	22724		24511	1319293	
ख)	सुरक्षा सेवा	1240136	189261	74332		12618	1516347	
ग)	बागबानी	391556					391556	
घ)	इलैक्ट्रीकल, प्लबिंग, कैटरिंग	251910	13839				265749	
13	कंटिजेन्ट एक्सपेन्स						0	
क)	पी ओ एल	275264	63080	35463	800	12974	387581	
ख)	वी आर एम	204594	101876	11902			318372	
ग)	स्टेशनरी एवं प्रिंटिग	722647	28435	57131	14266	39553	862032	
घ)	विज्ञापन	346389	21379	62843	17565	2022	450198	
14	अन्य खर्च						0	
क)	बिजली	1141208	315565	4898			1461671	
ख)	मानदेय व परिश्रमी	0	0	0			0	

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

क्रं सं.	व्यय	रा.मा.वि.स.	माडल स्कूल	रा.मा.वि.स.	रा.मा.वि.स.	रा.मा.वि.स.	ग्रास	कुल
(1)	(2)	सिकन्दराबाद	नई दिल्ली	नई दिल्ली	मुम्बई	कोलकत्ता	योग	योग
ग)	बीमा	88505	9734	7680			105919	
घ)	मरम्मत एवं रखरखाव						0	
i)	भवन	86870	103364	15164		120	205518	
ii)	उपकरण	634690	12894	46970	45746	5169	745469	
iii)	फर्नीचर	94530	140	280		1030	95980	
iv)	बिजली	148723		8251		13281	170255	
v)	मरम्मत का सामान व मजदूर	231676	37105	94106		11643	374530	
च)	डाक व टेलीफोन						0	
i)	डाक खर्चा	443760	9359	6264	9571	35740	504694	
i))	तार	37388			1090		38478	
iii)	टेलीफोन	615851	44812	71656	11482		743801	
छ)	लेखा परीक्षा शुल्क	58260					58260	
ज)	युनीफार्म	23014	8486		1416	2939	35855	
झ)	हास्पिटालिटी	4429	2302	20103	1645	604	29083	
ट)	लोकल परिवहन	20872	15561	11503	15601	590	64127	
ठ)	परिवहन	32233			3086		35319	
ड)	अन्य खर्च						0	
i)	जिराक्स	16484	6118		2455	4113	29170	
ii)	न्यूज पेपर व पिरिडिकल	64524	2594	7638	3419	2994	81169	
iii)	हिन्दी कार्यक्रम	25900					25900	
iv)	लीगल खर्च	27835					27835	

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

क्रं सं.	वस्तु व्यय	रा.मा.वि.स.	माडल स्कूल	रा.मा.वि.स.	रा.मा.वि.स.	रा.मा.वि.स.	ग्रास	कुल
(1)	(2)	सिकन्दराबाद	नई दिल्ली	नई दिल्ली	मुम्बई	कोलकत्ता	योग	योग
V)	अन्य विविध	38058	33037	17517	14995	34021	137628	33880096
15	ऋण तथा अग्रिम की भुगतान	1539763		13000		82257	1635020	1635020
16	अंतिम शेष						0	
क)	हाथ रोकड	40000	2500		1000	1000	44500	44500
ख)	बैंक रोकड		1216372	250563	344710	71219	1882864	
i)	पी.एन.बी.खाता सं.1	130516					130516	
ii)	पी.एन.बी.खाता सं.2	7602220					7602220	
iii)	एस.बी.ओ.पी. खाता सं.20						0	9615600
ग)	डाक घर						0	
i)	खाता सं.128413 (एच.पी.ओ.)	100712					100712	
ii)	खाता सं.760251 (एम.वी.एन.)	244256					244256	344968
घ)	पेंशन तथा ग्रैचुइटी फंड खाता	26488					26488	26488
च)	एडिप योजना	8014649					8014649	8014649
	कुल	167124560	6926685	3308456	7335660	1769073	186464434	186464434

क्रं सं.	वस्तु व्यय	रा.मा.वि.स.	माडल स्कूल	रा.मा.वि.स.	रा.मा.वि.स.	रा.मा.वि.स.	ग्रास	कुल
(1)	(2)	सिकन्दराबाद	नई दिल्ली	नई दिल्ली	मुम्बई	कोलकत्ता	योग	योग
V)	अन्य विविध	38058	33037	17517	14995	34021	137628	33880096
15	ऋण तथा अग्रिम की भुगतान	1539763		13000		82257	1635020	1635020
16	अंतिम शेष						0	
क)	हाथ रोकड	40000	2500		1000	1000	44500	44500
ख)	बैंक रोकड		1216372	250563	344710	71219	1882864	
i)	पी.एन.बी.खाता सं.1	130516					130516	
ii)	पी.एन.बी.खाता सं.2	7602220					7602220	
iii)	एस.बी.ओ.पी. खाता सं.20						0	9615600
ग)	डाक घर						0	
i)	खाता सं.128413 (एच.पी.ओ.)	100712					100712	
ii)	खाता सं.760251 (एम.वी.एन.)	244256					244256	344968
घ)	पेंशन तथा ग्रैचुइटी फंड खाता	26488					26488	26488
च)	एडिप योजना	8014649					8014649	8014649
	कुल	167124560	6926685	3308456	7335660	1769073	186464434	186464434

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
कुशाभाउ ठाकरे संश्लिष्ट क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल
वर्ष 2004 के लिए रसीद व भुगतान खाता

(राशी रुपयों में)

	रसीद	2002-03	2003-04		भुगतान	2002-03	2003-04
को	आदि शेष	रु.	रु.	से		रु.	रु.
	क) हाथ रोकड	0	5000		मानव संसाधन विकास	698229	475638
	ख) बैंक रोकड	5751658	8051006		अनुसंधान एवं विकास	0	182206
	सहायता अनुदान	2660000	2660000		सेवा प्रतिमानों का विकास	0	116228
	ऋण की आपूर्ती	5196239	72000		परामर्शी सेवाएँ	0	25931
	एडिप खर्च की आपूर्ती	3512826	0		प्रलेखन तथा प्रचार	212242	58802
	नई डी.डी.आर.सी.यों के लिए अनुदान	0	1700000		विस्तारण तथा अउटरीच कार्यक्रम	0	10658
	बैंक ब्याज	70426	194700		भवन	3500000	0
	आंतरिक रसीद	4165	174519		उपकरण	788032	134361
					फर्नीचर	257697	67834
					वेतन, मजदूरी व भत्ता	2179096	2634458
					यात्रा भत्ता	241065	130601
					कर्मचारी प्रशिक्षण	3000	21002
					समर्थन सेवाएँ	142025	250596
					कंटिन्जेन्ट खर्च	254878	167265
					अन्य खर्च	791044	942038
					ऋण व अग्रिम	72000	0
					अंतिम शेष		
					हाथ रोकड	5000	5000
					बैंक रोकड	8051006	7634607
	कुल	17195314	12857225			17195314	12857225

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
कार्यालय प्रभारी	लेखा अधिकारी	उपनिदेशक (प्र)	निदेशक

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
कुशाभाउ ठाकरे संश्लिष्ट क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल
31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाता

(राशी रुपयों में)

	व्यय	2002-03	2003-04		आय	2002-03	2003-04
को		रु.	रु.	से		रु.	रु.
	मानव संसाधन विकास	698229	550638		सहायता अनुदान	2660000	2660000
	अनुसंधान एवं विकास	0	182206		पूर्व अवधि के अनुदान	5196239	0
	सेवा प्रतिमानों का विकास	0	116228				
	परामर्शी सेवाएँ	0	69385			7856239	2660000
	प्रलेखन तथा प्रचार	9948	22869		घटाएँ : पूंजी मदों के लिए उपयुक्त	4614077	202195
	विस्तारण तथा अउटरीच कार्यक्रम	133946	10658			3242162	2457805
	वेतन, मजदूरी व भत्ता	2179096	2634458		जोडें ;		
	यात्रा भत्ता	241065	130601		बैंक तथा डाक घर ब्याज	70426	194700
	कर्मचारी प्रशिक्षण	3000	21002		विविध रसीद	4165	294203
	समर्थन सेवाएँ	142025	292636				
	कंटिन्जेन्ट खर्च	338854	167265		आय पर अधिकतम व्यय	1493515	2474553
	अन्य खर्च	707068	942038				
	ह्रास	357037	277377				
	आस्तियों की बिक्री से नष्ट	0	3900				
	ग्रास कुल	4810268	5421261			4810268	5421261

ह/-
कार्यालय प्रभारी

ह/-
लेखा अधिकारी

ह/-
उपनिदेशक (प्र)

ह/-
निदेशक

महापरिषद् के सदस्यों की सूची

1. श्री सी.गोपाल रेड्डी (30.6.2003 तक)
   अध्यक्ष, महापरिषद् एन.आई.एम.एच.और सचिव, भारत सरकार,
   सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001

2. श्री बी.एस.बासवान (1.7.2003 से)
   सचिव, भारत सरकार
   सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001

3. श्रीमति राजवंत संधू (31.12.2003 तक)
   सयुंक्त सचिव, भारत सरकार
   सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001

4. श्रीमति जयति चन्द्रा (1.1.2004 से)
   सयुंक्त सचिव, भारत सरकार
   सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001

5. श्री मृत्युन्जय साहू
   सयुंक्त सचिव एव वित्त सलाहकार
   भारत सरकार, शक्ति मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
   न. 405, शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

6. रोजगार एवं प्रशिक्षण के महानिदेशक

श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली - 110 001

7. डॉ. पी.भगवन्त राव

5-2-512, पुराना उस्मानगंज
रिसाला अब्दुल्लाह , हैदराबाद -500 195

8. श्री तारा चन्द शर्मा

सोशल वर्कर, इन्द्रपुरी
सेठी नगर, उज्जैन

9. श्री गुरू सिद्दे गौडा

सोशल वर्कर
गंगासान्द्र विलेज, तुमकुर- तालुक
तुमकुर, कर्नाटका

10. श्रीमति राधा रेड्डी

मार्फत विवेक हस्पताल
17-2-549, कर्मनघाट, सैदाबाद
हैदराबाद

11. संयुक्त सचिव

शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001

12. संयुक्त सचिव, भारत सरकार

स्वास्थ्य विभाग
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली -110 001

13. मुख्य सचिव

आँध्र प्रदेश सरकार, चिकित्सा एवं स्वस्थ्य विभाग
सचिवालय , एच ब्लाक , प्रथम तल,
हैदराबाद - 500 022

14. मुख्य सचिव

आँध्र प्रदेश सरकार, महिला विकास एवं शिशु कल्याण विभाग
सचिवालय , एच ब्लाक , निचला तल
कमरा नं.-27,
हैदराबाद - 500 022

15. डॉ. एल.गोविन्द राव

निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान
मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद - 500 009

कार्यकारिणी परिषद् सदस्यों की सूची

1. श्रीमति राजवंत संधू (31.12.2003 तक)
   संयुक्त सचिव, भारत सरकार
   सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001

2. श्रीमति जयति चन्द्रा (01.01.2004 से)
   सयुंक्त सचिव, भारत सरकार
   सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001

3. श्री मृत्युन्जय साहू
   सयुंक्त सचिव एव वित्त सलाहकार
   भारत सरकार, शक्ति मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
   न. 405, शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

4. श्री टी.के. नन्द कुमार
   प्रथम तल , नन्दनम
   33, वेन्कटनारायण रोड
   पोस्ट बाक्स 3388, चेन्नई - 600 035

5. स्वामी बिश्वनाथानन्दा
   महा सचिव
   विवेकानन्द मिशन आश्रम
   पोस्ट चैतन्यापुर, हल्दिया
   मिद्नापुर जिला, पश्चिम बंगाल - 721 645

6. डॉ. एल.गोविन्द राव
   निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान
   मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद - 500 009

शैक्षणिक समिति के सदस्यों की सूची

1. डॉ. प्रतिभा सिंघी, अतिरिक्त आचार्य
   पीडियाट्रिक विभाग
   पोस्ट ग्रैजुएट इन्स्टिट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एन्ड रिसर्च
   चण्डीगढ - 160 012

2. डॉ.लीना कश्यप
   अध्यक्ष, परिवार एवं बाल कल्याण विभाग
   टाटा इन्स्टिट्यूट आफ सोशल साईन्सेस
   पोस्ट बाक्स नं. 8313, सियोन ट्राम्बे रोड
   दियोनार, मुम्बई - 400 088

3. प्रोफेसर पी.जयचन्द्रन
   निदेशक
   विजय ह्यूमन सर्वीसेस् नं. 4, लक्ष्मीपूरम,
   3 स्ट्रीट, रॉयापेटा, चेन्नई - 600 014

4. प्रोफसर के.सी. पाण्डा
   छायात्तरू, डी-25, मैत्री विहार,
   चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर - 751 023

5. प्रोफेसर मालविका कपूर, अतिरिक्त प्रोफसर
   "बालावना"
   61, 5th "ए" ब्लाक
   कोरमंगला, बैंगलूर - 560 095

6. प्रोफसर एम.जयराम
   निदेशक, आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिन्ग
   मानसागंगोत्री, मैसूर - 570 006

7. डॉ. बी.डी.अथानी

निदेशक

आल इन्डिया इन्स्टिट्यूट आफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन

हाजी आली पार्क, क.खडया मार्ग, महालक्ष्मी

मुम्बई - 400 034

8. प्रोफसर वाई वाईकुन्टम

डीन

फैकल्टी आफ सोशल साइन्सेस

उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद - 500 007

9. डॉ.एल.गोविन्द राव

निदेशक

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान,

मनोविकास नगर,

सिकंदराबाद - 500 009

एथिक्स समिति के सदस्यों की सूची

1. श्री आर.कान्ता राव, निदेशक
   आ.प्र.जुडिशियल अकाडमी
   सिटी सिविल कोर्ट, काम्पौउड,
   सिकंदराबाद - 500 003

2. डॉ.बी.शिव कुमार
   उप निदेशक
   नेशनल इन्स्टिट्यूट आफ न्यूट्रिशन
   तारनाका, हैदराबाद - 500 007

3. डॉ. जयन्ती नारायण
   अध्यक्ष, विशेष शिक्षा विभाग,
   राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान,
   मनोविकास नगर, सिकंदराबाद - 500 009

4. डॉ.एल.गोविन्द राव
   निदेशक
   राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान,
   मनोविकास नगर, सिकंदराबाद - 500 009

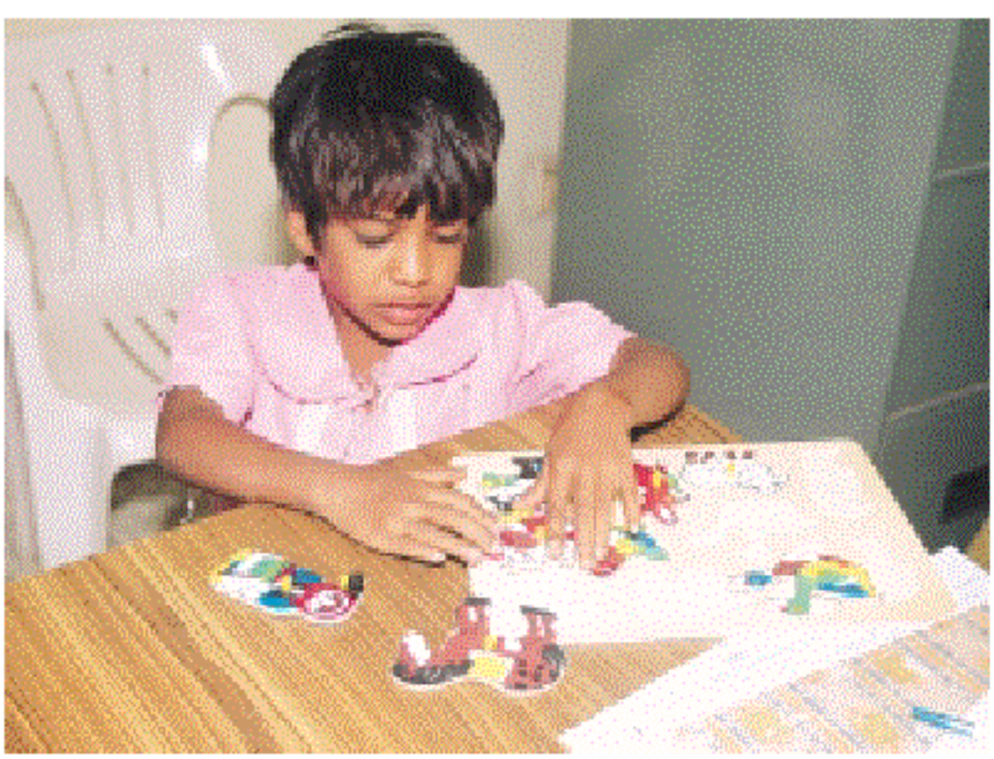

अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (अप्रैल 2003 - मार्च 2004)

क्र.	अल्पकालीन पाठ्यक्रम का नाम	स्थान	तिथि	सहभागियों की संख्या
1.	विशेष शिक्षा क्रियाकलापों में वाणी भाषा लक्ष्यों को जोडना	एस्टीव स्कूल फार एम.आर., डोम्बिरली	28-30 अप्रैल, 2003	36
2.	अंगनवाडी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. सिकंदराबाद	8 - 9 अप्रैल, 2003	40
3.	अंगनवाडी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. सिकंदराबाद	24 अप्रैल, 2003	40
4.	अभिभावक प्रशिक्षण पर मास्टर प्रशिक्षण	रा.मा.वि.सं. सिकंदराबाद	8-9 मई, 2003	35
5.	शिक्षा कौशलों पर कार्यशाला	रा.मा.वि.सं., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	21 मई, 2003	35
6.	सहोदरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	एम.एस.एम.डी.सी, नई दिल्ली	3 मई, 2003	20
7.	श्रवणाँध बच्चों तथा अतिरिक्त विकलांग बच्चों की शिक्षा	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	19 मई - 7 जुलाई, 2003	10
8.	मानसिक रुग्मता तथा मानसिक मंदन पर कार्यशाला	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	23 जून, 2003	19
9.	वर्तमान प्रवृत्तियाँ तथा विशेष शिक्षा विकास पर मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	23-27 जून, 2003	15
10.	विशेष शिक्षकों के लिए चिकित्साविज्ञान में मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	9-11 जूलाई, 2003	21
11.	आटीजम स्पेक्ट्रम अव्यवस्थाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	14-15 जुलाई, 2003	15
12.	परामर्शदाता / विशेष / एकीकृत विद्यालयों के शिक्षकों के लिए परामर्शी कुशलताओं का अद्यतन पर कार्यशाला	एम.एस.एम.डी.सी.	29 अगस्त, 2003	20
13.	मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए व्यवहार परिवर्तन कार्यशाला	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	5-8 अगस्त, 2003	17
14.	संज्ञानात्मक व्यवहार थिरेपी पर मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	20-22 अगस्त, 2003	11
15.	स्कूलपूर्वी वर्षों में सम्मिश्र शिक्षा	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	11-16 अगस्त, 2003	23
16.	देखभालकर्ताओं के लिए मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	15-26 सितम्बर, 2003	24
17.	मानसिक मंदता के क्षेत्र में कार्यरत् मास्टर प्रशिक्षकों के लिए व्यवहार परिवर्तन पर कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	2-5 सितम्बर, 2003	09
18.	चिकित्साविज्ञान में व्यावसायिकों के लिए मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	10-12 सितम्बर, 2003	13
19.	आटीजम पर कार्यशाला	रा.मा.वि.सं., क्षत्रीय केन्द्र, मुम्बई	2 सितम्बर, 2003	13
20.	मानसिक मंदता पर जागरूकता कार्यक्रम	त्रिवेणी महीला मंडल		20
21.	देखभाल कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	माडल स्कूल, नई दिल्ली	19-20 सितम्बर, 2003	23
22.	शिशु एवं बच्चों के प्रारंभिक हस्तक्षेप पर डाक्टरों के लिए संवेदीग्राही कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	25 सितम्बर, 2003	08
23.	प्रारंभिक हस्तक्षेप पर कार्यशाला	रा.मा.वि.सं., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	13 सितम्बर, 2003	42

क्र.	अल्पकालीन पाठ्यक्रम का नाम	स्थान	तिथि	सहभागियों की संख्या
24.	स्कूल संवेदीग्राह पर मास्टर प्रशिक्षण	रा.मा.वि.सं., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता	9-10 अक्तूबर, 2003	07
25.	बहुविध विकलांगताओं पर कार्यशाला	रा.मा.वि.सं., क्षेत्रीय केन्द्र, मुम्बई	14-18 अक्तूबर, 2003	11
26.	मानसिक मंदता में संप्रेषण कुशलताओं का विकास	रा.मा.वि.सं., क्षेत्रीय केन्द्र, मुम्बई	29-31 अक्तूबर, 2003	19
27.	विकलांगता अभिमुखीकरण पर अंगनवाडी कार्यकर्ताओं के लिए कार्यशाला	रा.मा.वि.सं., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता	18 नवम्बर, 2003	25
28.	भौतिक चिकित्सा में सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	1-31 अक्तूबर, 2003	07
29.	मनोविज्ञान में सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	12 नवम्बर, से 19 दिसम्बर, 2003	14
30.	देखभालकर्ताओं के मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	12-14 नवम्बर, 2003	04
31.	प्राईमरी स्कूल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	माडल स्कूल, नई दिल्ली	5-6 दिसम्बर, 2003	35
32.	आटीजम पर कार्यशाला	रा.मा.वि.सं., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता	26-27 दिसम्बर, 2003	52
33.	आटीजम पर अद्यतन प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	10-12 दिसम्बर, 2003	11
34.	पुनर्वास व्यावसायिकों के लिए परामर्श कुशलताओं का अद्यतन पर कार्यशाला	रा.मा.वि.सं., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता	30-31 जनवरी, 2004	23
35.	देखभालकर्ताओं के लिए मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	9-20 फरवरी, 2004	61
36.	गैर सरकारी संगठनों में क्षमता निर्माण पर कार्यशाला	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	16-18 फरवरी, 2004	23
37.	पल्स पोलियो असंक्रमीकरण	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	9 दिसम्बर से 22 फरवरी, 2004	1724
38.	रोकथाम तथा प्रारंभिक हस्तक्षेप पर मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	11-12 मार्च, 2004	01
39.	प्रारंभिक हस्तक्षेप पर कार्यशाला	रा.मा.वि.सं., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता	28-29 जनवरी, 2004	28
40.	एन्डोस्केलिटल पद्धति	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	16 जनवरी, 2004	26
41.	व्यावसायिकों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप पर कार्यशाला	रा.मा.वि.सं., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता	28-29 जनवरी, 2004	27
42.	पुनर्वास व्यावसायिकों के लिए परामर्श कुशलताओं का अद्यतन पर कार्यशाला	रा.मा.वि.सं., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता	30-31 जनवरी, 2004	23
43.	मनोवैज्ञानिक तथा परामर्शी तकनीकों पर अभिमुखी कार्यक्रम	अजमीर	17 मार्च, 2004	25
	कुल			2652
44-63	आँध्रप्रदेश में आयोजित 20 पहचान शिविरों के दौरान संचालित अभिमुखी कार्यक्रम	आँध्रप्रदेश के विभिन्न स्थानों पर	वर्षभर	1436
64-211	डी.डी.आर.सी.में संचालित 148 अभिमुखी कार्यक्रम	सभी डी.डी.आर.सी.यों में	वर्षभर	7273
212-287	विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	सभी डी.डी.आर.सी.यों में	वर्षभर	5947
कुल				17,308

अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अप्रैल 2003 - मार्च 2004

क्र. स.	स्थान	तिथियॉ	सहभागियों की संख्या
1.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	25 अप्रैल, 2003	10
2.	एन.आई.एम.एच, क्षेत्रीय केन्द्र , कोलकत्ता	8 अप्रैल, 2003	15
3.	एन.आई.एम.एच, क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकत्ता	25 अप्रैल, 2003	15
4.	साहा स्पेशल स्कूल, नई दिल्ली	5 मई, 2003	54
5.	प्रभा स्पेशल स्कूल	6 मई, 2003	25
6.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	2 व 9 मई, 2003	15
7.	एन.आई.एम.एच, क्षेत्रीय केन्द्र , कोलकत्ता	25 जुलाई, 2003	06
8.	आस्था स्पेशल स्कूल, नई दिल्ली	11 जुलाई, 2003	40
9.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	28-29 जुलाई, 2003	23
10.	प्रदीप इन्स्टिट्यूट, कोलकत्ता	9 अगस्त, 2003	31
11.	उत्तराया इन्स्टिट्यूट, कोलकत्ता	23 अगस्त, 2003	14
12.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	23-24अगस्त, 2003	10
13.	साहस स्कूल, मुखर्जीनगर	22 अगस्त, 2003	15
14.	एन.आई.एम.एच, क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	29 अगस्त, 2003	12
15.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	6-7 सितम्बर, 2003	05
16.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	12 सितम्बर, 2003	10
17.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	26 सितम्बर, 2003	08
18.	एन.आई.एम.एच, क्षेत्रीय केन्द्र , कोलकत्ता	6, सितम्बर, 2003	30
19.	एन.आई.एम.एच, क्षेत्रीय केन्द्र , कोलकत्ता	16,सितम्बर, 2003	30
20.	एन.आई.एम.एच, क्षेत्रीय केन्द्र , कोलकत्ता	26, सितम्बर, 2003	13
21.	एन.आई.एम.एच, क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	29 अक्तूबर, 2003	25
22.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	10 अक्तूबर, 2003	10
23.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	10 अक्तूबर, 2003	08
24.	एन.आई.एम.एच, क्षेत्रीय केन्द्र , कोलकत्ता	31 अक्तूबर, 2003	15
25.	एन.आई.एम.एच, क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	29 अक्तूबर, 2003	25
26.	एन.आई.एम.एच, क्षेत्रीय केन्द्र , कोलकत्ता	28 नवम्बर, 2003	57
27.	एन.आई.एम.एच, क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	25 नवम्बर, 2003	16
28.	एन.आई.एम.एच, क्षेत्रीय केन्द्र , कोलकत्ता	26 दिसम्बर, 2003	31
29.	एन.आई.एम.एच, क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	12 व 18 दिसम्बर, 2003	108
30.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	10,17 व 24 दिसम्बर,2003	07
31.	एन.आई.एम.एच, क्षेत्रीय केन्द्र , कोलकत्ता	30 जनवरी, 2004	09
32	मंद बुद्धि बच्चो के लिए माडल स्कूल , नई दिल्ली	23-24 जनवरी, 2004	28

क्र. स.	स्थान	तिथियॉ	सहभागियों की संख्या
33.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	4 फरवरी, 2004	05
34.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	6 फरवरी, 2004	05
35.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	16 फरवरी, 2004	08
36.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	11 फरवरी, 2004	07
37.	एन.आई.एम.एच, क्षेत्रीय केन्द्र , कोलकत्ता	27 फरवरी, 2004	16
38.	एन.आई.एम.एच, क्षेत्रीय केन्द्र , कोलकत्ता	3 जनवरी, 2004	09
39	मंद बुद्धि बच्चो के लिए माडल स्कूल, नई दिल्ली	27 फरवरी, 2004	28
40.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	15-17 मार्च, 2004	11
41.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	15 व 25 मार्च, 2004	09
42.	आइज्वाल, मिजोरम	16-17 मार्च, 2004	36
43.	चैन्नई	30 मार्च, 2004	28
44.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	10-13 मार्च, 2004	42
45.	मंयीलादुमपराई	3 फरवरी, 2004	25
46.	अंडीपट्टी, थाने जिला	4 फरवरी, 2004	15
47.	पेरीयाकुलम युनियन आफिस, थाने जिला	5 फरवरी, 2004	37
48.	पलानी दुनदिगल जिला	7 फरवरी, 2004	23
49.	वेस्ट ब्लाक, मदुराई जिला	26 फरवरी, 2004	15
	कुल		1,049
50-153	डी.डी.आर.सी. में आयोजित (104) प्रशिक्षण कार्यक्रम	वर्ष भर	4,479
	कुल		5,528

अध्याय -1

संस्थान के बारे में

1.1 प्रस्तावना

संसार में जब से मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ है और उसने अपने समूह बनाना आरंभ किया है, तब से ही विकलांग व्यक्ति भी यहाँ रहे हैं। सभी प्रकार की विकलांगताओं में से मानसिक मंदन अर्थात् बौद्धिक क्षति, अन्य क्षतियों की तुलना में अधिक चुनौतियों को प्रस्तुत करता है। मानसिक मंद व्यक्तियों के मानसिक विकास की स्थिति अवरुद्धता हो जाती है या अपूर्ण विकसित होती है, जो बुद्धिमता की अपसामान्यता कहा जाता है, जिससे मानसिक मंद व्यक्ति अपने जीवन के कुछ कार्यों को करने में अवरुद्धता पैदा करती है। इस प्रकार की कमी के कारण संज्ञानात्मक, भावात्मक या व्यावहारिक प्रतिभा में विकलांगता है।

भारत में विकलांगता पुनर्वास की बहुत पुरानी इतिहास है परन्तु उसका वैज्ञानिक इतिहास छोटा है। इन विकलांग व्यक्तियों के उद्धार और सुधार के लिए अनेक व्यक्तियों और वर्गों ने कई प्रकार के उपायों का सूत्रपात किया है। लेकिन भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् ही विकलांग व्यक्तियों को संगठित रूप में पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने का काम एक संचलन के रूप में शुरु हुआ है। फिर भी, दो दशाब्दियों पहले तक भी व्यवासायिक निवेशों, वैज्ञानिक सेवा प्रतिदर्शी, प्रशिक्षित मानवशक्ति आदि बहुत दूर और बहुत कम थे।

व्यावसायिक ढंग से पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति, भारतीय परिस्थितयों से मेल खाते सेवा नमूनों के विकास, पाठ्यक्रम का विकास, मानसिक मंदन के बच्चों के लिए पढ़ने और सीखने की सामग्रियों की आवश्यकता महसूस की गई थी। साथ ही, मानसिक मंदन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता को दूसरी प्राथमिक आवश्यकता के रूप में महसूस की गई। इसलिए भारत सरकार ने संसाधनों के सृजन के लिए मानव संसाधन विकास, सेवा नमूनों के विकास, अनुसंधान तथा विकास को देश में ही करने व व्यावसायिकता की प्रोन्नति करने तथा साधनों के निर्माण में वैज्ञानिक आगमन व समर्थन - युक्त नीति आरंभ की है।

तदनुसार 22 फरवरी, 1984 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन के रूप में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग की स्थापना की गई।

अध्याय 2

उद्देश्य

2.1 उद्देश्य

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

- देखभाल तथा पुनर्वास नमूनों का विकास
- मानव संसाधन विकास
- अनुसंधान एवं विकास
- स्वैच्छिक संगठनों को परामर्शी सेवाएँ प्रदान करना
- प्रलेखन तथा प्रचार
- विस्तारण और अभिआगमन कार्यक्रम।

2.2 संगठनात्मक व्यवस्था

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान का मुख्यालय सिकंदराबाद में तथा क्षेत्रीय केन्द्र कोलकता, मुम्बई तथा नई दिल्ली में अवस्थित हैं। संस्थान ने जुलाई 2000 में भोपाल में संश्लिष्ट पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की । तत्कालीन समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1964 में नई दिल्ली में स्थापित मानसिक विकलांग बच्चों के लिए माडल स्कूल फार दि मेंटली डिफीसियेन्ट चिल्ड्रन, नई दिल्ली को अगस्त 1986 में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान को सौंप दिया गया।

2.3 विशेष उपलब्धियाँ / मुख्य क्रियाकलाप

संस्थान द्वारा वर्ष 2003-04 के दौरान हाथ में लिये गये मुख्य क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं।

- एन.आई.एम.एच. क्षेत्रीय केन्द्र, मुम्बई में एक वर्षीय डिप्लोमा इन एर्ली चाईल्ड हुड स्पेशल एजुकेशन आरंभ किया ।
- इंद्रप्रस्था विश्वविद्यालय से संबंद्धित 4 वर्षीय बैचिलर डिग्री इन रिहैबिलिटेशन थिरैप्युटिक्स का एन.आई.एम.एच. क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली में आरंभ किया।
- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के मुख्यालय में एम.ई.डी. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) का आरंभ किया।
- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के मुख्यालय में 2 वर्षीय एम.फिल. इन रिहैबिलिटेशन साईकोलोजी का आरंभ किया।
- तीन अनुसंधान सदस्यों के चयन द्वारा अध्ययन फेलोशिप कार्यक्रम आरंभ की।
- ऑटीजम स्पेक्ट्रम अव्यवस्थाओं पर हैदराबाद में चार दिवसीय भारत-यु.एस.कार्यशाला का आयोजन की।

- मानसिक रुग्मता-मानसिक मंदन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन चेन्नई तथा बेंगलूर में की गई।
- भारत में विकलांगता प्रबंध - चुनौतियाँ एवं परिप्रेक्ष्य पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में की गई।
- करीमनगर, मान्ड्या, दिवास तथा सत्ना में नए जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों का आरंभ किया गया।
- गुलबर्गा, थूतुकूडी, थ्रेसुर, कोजीकोड तथा मदुरै के जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों को संबंधित राज्य सरकारों को हस्तांतरित किया गया ।
- पाँच अनुसंधान परियोजनाएँ पूर्ण किये गये।
- दोपहर में भी सेवाएँ आरंभ की गई।

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास की प्रोन्नति के लिए, संस्थान 10 दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है, वे है 1) विशेष शिक्षा डिप्लोमा (मानसिक मंदन), 2) व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार में डिप्लोमा (मानसिक मंदन), 3) प्रारंभिक बालवस्था विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन) में डिप्लोमा, 4) पुनर्वास सेवाएँ (मानसिक मंदन)-स्नातक उपाधि, 5) पुनर्वास चिकित्सा में स्नातक उपाधि, 6) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन) में बी.एड., 7)विशेष शिक्षा में बी.एड. (पत्राचार माध्यम), 8) प्रारंभिक हस्तक्षेप में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, 9) विशेष शिक्षा में एम.एड. (मानसिक मंदन), तथा 10) पुनर्वास मनोविज्ञान में एम.फिल.। पहचान की गई विभिन्न क्षेत्रों में एक महीने की अवधि का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों का आयोजन की जाती है। इसके अतिरिक्त, वर्ष भर में 2 से 5 दिवस के 287 अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजित किया गया जिससे 17,308 अभ्यर्थी लाभान्वित हुए।

3.1 विशेष शिक्षा डिप्लोमा (मानसिक मंदन)

इस दो वर्षीय पाठ्यक्रम का उद्देश्य विशेष शिक्षकों को विकसित करना है, जो मानसिक मंद व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्क्रीनिंग, मूल्यांकन, शिक्षण व प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम हों। प्रसंगाधीन वर्ष 2003-04 के दौरान, देश भर के 53 सम्बद्ध केन्द्रों के 985 विशेष शिक्षकगण वार्षिक परीक्षा में बैठे।

3.2 व्यावसायिक प्रशिक्षण व रोजगार डिप्लोमा (मानसिक मंदन)

एक वर्ष की अवधि का यह पाठ्यक्रम मानसिक मंदन के क्षेत्र में व्यावसायिक अनुदेशकों को तैयार करता है। फिलहाल यह पाठ्यक्रम तीन केन्द्र, अर्थात्, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद, नवज्योति ट्रस्ट, चेन्नैई, तथा मानसिक मंदन के लिए सरकारी संस्थान, चंडीगढ़ में चलाया जा रहा है। प्रसंगाधीन वर्ष 2003-04 के दौरान, और दो केन्द्र, अर्थात्, शेल्टर, हुग्ली, पश्चिम बंगाल तथा जाने सेन्टर फार स्पेशल एजुकेशन, कोचि, केरल में भी यह कार्यक्रम चलाया। वर्ष 2003-04 के दौरान 77 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।

3.3 प्रारंभिक बालवस्था विशेष शिक्षा डिप्लोमा (मानसिक मंदन)

प्रारंभिक बालवस्था विशेष शिक्षा (ई.सी.एस.ई.) 6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों पर ध्यान केन्द्रीकरण करता है तथा लक्ष्य वर्ग की योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विभिन्न उपाय तथा तरीके अपनाते हैं। यह प्रशिक्षण, गृह आधारित, केन्द्र आधारित, नियमित प्राथमिक पाठशालाओं, अंगनवाडी तथा बालवाडियों में विस्थापन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम मानसिक मंद बालक के परिवार के पास या घर जाकर या सैलानी शिक्षक बनकर, नियमित या विशेष प्री-स्कूलों में जाकर विकलांग बच्चों को संभालने हेतु उपयुक्त मानव संसाधन का प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रारंभिक बालवस्था विशेष शिक्षक से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह नियमित

स्कूलों में विकलांग बच्चों को अधिक संख्या में शामिल करते हुए पाठ्यक्रम की अभिकल्पना और प्रबंधन के लिए बहु-शास्त्रीय ज्ञाता सदस्य के रूप में काम करें। इन सभी क्षमताओं को प्रदान करने के लिए, 2002-03 के दौरान राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान तथा विजय ह्यूमन सर्वीसेस्, चेन्नई में प्रारंभिक बालवस्था में विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम का आरंभ किया गया। वर्ष 2003-04 के दौरान यह पाठ्यक्रम हमारे क्षेत्रीय केन्द्र, मुम्बई में भी चलाया गया और 49 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

3.4 पुनर्वास सेवाएँ - स्नातक उपाधि (मानसिक मंदन)

यह चार वर्षीय पाठ्यक्रम, उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबद्ध है जो मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए समाविष्ट सेवाएँ प्रदान करने में योग्य व्यावसायिकों को तैयार करता है। इस पाठ्यक्रम में न्यूरोबायोलोजी, साईकोलोजी, विशेष शिक्षा, वाणी-भाषा चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा तथा व्यावसायिक चिकित्सा से संबंधित विषय शामिल हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान बी.आर.एस. III तथा बी.आर.एस. IV के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

3.5 पुनर्वास चिकित्सा विज्ञान - स्नातक उपाधि

यह चार वर्षीय पाठ्यक्रम इन्द्रप्रस्था विश्विविद्यालय से संबंद्धित है और क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली में प्रदान किया जाता है। मानसिक मंद व्यक्तियों को समाविष्ट सेवाएँ प्रदान करने के लिए यह पाठ्यक्रम व्यावसायिकों को तैयार करता है। इस पाठ्यक्रम में न्यूरोबायोलोजी, साईकोलोजी, विशेष शिक्षा, वाणी-भाषा चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा तथा व्यावसायिक चिकित्सा से संबंधित विषय शामिल हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान, 18 अभ्यर्थियों को इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया गया है।

3.6 विशेष शिक्षा में बी.एड. (मानसिक मंदन)

विभिन्न स्तरों पर विशेष शिक्षकों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, एक वर्षीय बी.एड.-विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन) जो उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबंद्ध है, संचालन करता है। वर्ष 2003-04 के दौरान 18 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

3.7 विशेष शिक्षा में बी.एड. (दूरी प्रणाली)

मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय, भोपाल और भारतीय पुनर्वास परिषद् के सहयोग से क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली में बी.एड. विशेष शिक्षा (दूरी प्रणाली) कार्यक्रम संचालित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को प्रभावी ढंग से शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने में व्यावसायिकों को विकसित करना है। वर्ष 2003-04 के दौरान, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली से 40 विद्यार्थियों ने कार्यक्रम पूरा किया।

3.8 प्रारंभिक हस्तक्षेप में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

विकासात्मक देरी वाले बच्चों में यदि कमियों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर प्रारंभ से ही व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान की जाएँ तो सार्थक सुधार परिलक्षित होंगे। ये सेवाएँ बाल विकास आचरणों, भौतिक चिकित्सा विज्ञान, व्यावसायिकी चिकित्सा विज्ञान, वाक् चिकित्सा विज्ञान जैसे अंतर-विषयिक प्रकृति के होते हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान, 9 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया।

3.9 एम.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)

विभिन्न स्तरों पर विशेष शिक्षकों के आवश्यकताओं को दृष्टिगत में रखते हुए, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान एक वर्षीय एम.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन) पाठ्यक्रम का आरंभ किया। यह पाठ्यक्रम उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबद्धित है और 8 जनवरी, 2004 को आरंभ हुई जिसके परीक्षाएँ नवम्बर / दिसम्बर, 2004 में होंगे। वर्ष 2003-04 के दौरान, 10 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया।

3.10 पुनर्वास मनोविज्ञान में एम.फिल. पाठ्यक्रम

उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबद्धित यह दो वर्षीय पाठ्यक्रम का आरंभ जनवरी 2004 में हुई और मानसिक मंद व्यक्तियों को समाविष्ट सेवाएँ प्रदान करने के योग्य व्यावसायिकों को तैयार करता है। इस पाठ्यक्रम में न्यूरोबायोलोजी, साईकोलोजी, विशेष शिक्षा, वाणी-भाषा चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा तथा व्यवसायिक चिकित्सा से संबंधित विषय शामिल किये गये हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान 12 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया।

3.11 सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

क्षेत्र के पुनर्निवेशन ने यह सूचित किया कि मानसिक मंद बच्चों के दिन-प्रतिदिन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने जो विशेष शिक्षक होते हैं उनको चिकित्सा-विज्ञान पर गहन प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। यह, विशेष शिक्षकों को अपनी सुयोग्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए तथा उन्हें सुदृढ बनाने की दृष्टि से है ताकि वे गुणतायुक्त सेवाएँ प्रदान कर सकें। वर्ष 2003-04 के दौरान ऐसे चार कार्यक्रमों का संचालन किया गया जिसके विवरण अगले पृष्ट में सारणी -1 पर दी गई हैं।

सारणी - I वर्ष 2003-04 के दौरान संचालित सर्टीफिकेट पाठ्यक्रमों का विवरण

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
1.	वाक्-चिकित्सा विज्ञान में सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम	1-30 अगस्त, 2003	9
2.	भौतिक चिकित्सा में सर्टीफिके पाठ्यक्रम	1-31 अक्तबूर 2003	7
3.	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम	12 नवम्बर - 19 दिसम्बर 2003	14
4.	स्कूल से कार्य को आंतरण में सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम	1-26 सितम्बर, 2003	4

3.12 अल्पकालीन पाठ्यक्रम

ये अल्पकालीन पाठ्यक्रम मुख्यत: इस प्रकार अभिकल्पित किये गये हैं कि मानसिक मंद के क्षेत्र में कार्यरत् व्यावसायिकों और कार्मिकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। वर्ष 2003-04 के दौरान, संस्थान ने 17,308 हिताधिकारियों को आवरित करते हुए 287 अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये, जिसके विवरण अनुबंध-1 में दिये गये हैं।

3.13 जागरूकता कार्यक्रम

यह सर्वमान्य तथ्य है कि यदि युवा मनों में जागरूकता पैदा की जाए तो विकलांगता और पुनर्वास को समझने में उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और युवा वर्ग विकलांग व्यक्तियों के साथ सहानुभूति जता सकेंगे। इसका समाज पर दीर्घकालीन प्रभाव पडेगा। पुनर्निवेशन ने संकेत दिया है कि विकलांगता और पुनर्वास के प्रति

युवाओं के मन में सकारात्मक विचारधारा पैदा की गई है। वर्ष 2003-04 के दौरान, 16,623 स्कूल तथा कालेज के विद्यार्थियों को आवरित करते हुए 100 कार्यक्रम संचालित किये गये।

3.14 विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण

जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों में 5,947 विकलांग व्यक्तियों के लिए 76 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन किये गये (सारणी ।।।)। ये कार्यक्रम प्राथमिक रूप से व्यावसायिक कौशलों को सिखाने और सामाजिक एकता के लिए संचालित किये गये थे।

3.15 राष्ट्रीय / क्षेत्रीय / राज्य स्तर के कार्यक्रम

3.15.1 अभिभावक संगठनों की राष्ट्रीय संगोष्ठी

मानसिक मंद व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के लिये अभिभावकों को अधिकारिता प्रदान करना आवश्यक है। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान नियमित रूप से अभिभावक संगठनों की राष्ट्रीय गोष्ठियाँ आयोजित करता रहा है। इस वर्ष 1-2 नवम्बर, 2003 को सपना शिक्षा, पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्था, भोपाल के सहयोग से 11वाँ राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गयी जिसमें 53 पंजीकृत अभिभावक संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हुए 130 अभिभावकों ने भाग लिया। संगोष्ठी के दौरन चर्चित विषय थे (क) स्व-सहायक समूहों को प्रोन्नति, (ख) मानसिक मंद तथा अन्य विकलांगता वाले महिलाएँ, (ग) अभिभावक समूहों की भूमिका, (घ) संप्रेषक के रूप में अभिभावक, (च) विकलांगता पुनर्वास में सूचना तकनीकी की भूमिका।

3.15.2 मानसिक मंदता पर राष्ट्रीय सम्मेलन

राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन पुनर्वास व्यावसायिकों को सूचना आदान प्रदान करने के लिए एक सामूहिक मंच प्रदान करता है। इस वर्ष 17वाँ वार्षिक सम्मेलन कोलकता में मनोविकास केन्द्रा, कोलकता के सहयोग से 15-17 दिसम्बर, 2003 को सम्पन्न हुई। कार्यक्रम में पाँच सौ प्रतिभागियों ने भाग लिया। वार्षिक सम्मेलन में चर्चित विषय थे - (क) विकलांग व्यक्तियों के लिए स्व-सहायक संगठन तथा संबंधित परिवार व अभिभावक समूह, (ख) विकलांग महिलाएँ, (ग) प्रारंभिक पहचान, प्रारंभिक हस्तक्षेप तथा शिक्षा, (घ) स्व-रोजगार सहित प्रशिक्षण एवं रोजगार, (च) निर्मित पर्यावरण तथा सार्वजनिक परिवहन की अभिगम, (छ) सूचना, संप्रेषण तथा सहायक तकनीकी सहित सूचना एवं संप्रेषण का अभिगम (ज) क्षमता निर्माण, सामाजिक सुरक्षा तथा सहनीय जीवन कार्यक्रमों के जरीए गरीबी कम करना।

3.15.3 विशिष्ट कर्मचारियों की राष्ट्रीय बैठक

विशिष्ट कर्मचारियों की नौवीं राष्ट्रीय बैठक सिकंदराबाद में 22-23 जनवरी, 2004 को आयोजित की गई जिसमें 9 राज्यों से 44 अनुरक्षकों के साथ 54 विशिष्ट कर्मचारियों ने भाग लिया। इन कर्मचारियों को अपने - अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित उत्पादन केन्द्रों में उनके मूल्यांकन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों की तरह चयन किया गया था। जनता में जागरूकता पैदा करने तथा संभाव्य नियोक्ताओं को सुग्राही बनाने के लिए, उन्होंने उत्पादक रोजगार का लाभ उठाने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।

3.15.4 विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस

विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसम्बर, 2003 के दौरान, संस्थान द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजन किये गये।

- आयु स्तर के अनुसार 18 विशेष स्कूलों के पुरुष तथा महिलाओं के लिए अलग-अलग से मानसिक मंद बच्चों के लिए चित्रलेखन प्रतियोगिता।
- सभी आठ वर्गों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार प्रदान किये गये। हर प्रतिभागी को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
- मानसिक मंद बच्चों द्वारा सांस्कृति कार्यक्रम

3.15.5 "आटीजम स्पेक्ट्रम अव्यवस्था - एक चुनौती देने वाली विकलांगता" - पर भारत-यु.एस. कार्यशाला

संस्थान ने यु.एस. शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय विकलांग तथा पुनर्वास अनुसंधान संस्थान (एन.आई.डी.आर.आर.) के सहयोग से "आटीजम स्पेक्ट्रम अव्यवस्थाओं" पर 4 दिवसीय कार्यशाला का 10-13 मार्च, 2004 को आयोजित की जिसमें भारत तथा यु.एस.ए. के 42 व्यावसायिकों ने भाग लिया।

3.15.6 भारत में विकलांगता प्रबंध पर कार्यशाला

भारतीय कार्मिक प्रशासन संस्थान (आई.आई.पी.ए.) के सहयोग से संस्थान द्वारा "भारत में विकलांगता प्रबंध - चुनौतियाँ तथा परिप्रेक्ष्य" पर कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें 86 अखिल भारतीय सेवा कैडर के वरिष्ठ अधिकारियों एवं व्यावसायिकों ने भाग लिया।

3.16 अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य अभिभावकों को अपने बच्चों की देखभाल, प्रबंधन तथा प्रशिक्षण में सम्मिलित करना, अभिभावकों के बीच समर्थन को प्रोत्साहित करना, तथा अपने विचारों एवं सूचनाओं को आदान-प्रदान करवाना है। प्रसंगाधीन वर्ष में 5,528 अभिभावकों को लाभान्वित करते हुए कुल 153 अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजित किये गये कार्यक्रमों के विवरण अनुबंध-।। में संलग्न है।

अनुसंधान और विकास परियोजनाएँ

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने यू.एस.इंडिया रूपया निधि, यूनिसेफ, यू.एन.डी.पी., आई.सी.एस.एस.आर., एस.एन्ड.टी मिशन मोड के सहयोग से अनुसंधान परियोजनाओं का कार्य कर रहा है। अब तक, 40 अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा किया गया है।

4.1 पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाएँ

वर्ष 2003-04 के दौरान, निम्नलिखित परियोजनाएँ पूरी की गयीं।

4.1.1 दृश्य क्षति वाले शिशु एवं बच्चों के लिए प्रेरणात्मक क्रियाकलापों का विकास

दृष्टि क्षति से ग्रस्त शिशु की सहायता के लिए प्रेरण एक आवश्यक घटक बन जाता है। प्रेरण क्रियाकलाप बच्चे के सकल मोटर विकास, हाथ के कार्य का विकास, अवशिष्ट, दृश्य व श्रव्य विकास और अन्य संवेदी विकास और वाक् तथा भाषा के विकास के कार्यकलापों की आवश्यकता की आपूर्ति करता है। मौजूदा परियोजना दृष्टि क्षति ग्रस्त शिशुओं के लिए प्रेरण पैकेज विकास करने के लिए आरंभ की गई।

4.1.2 शैक्षिक विषयों में अधिगम समस्यावाले विद्यार्थियों के लिए संसाधन शिक्षा कार्यक्रमों का विकास

मौजूदा शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करने और सीखने की समस्या वाले बच्चों को पढ़ाने में प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों के आँकड़े एकत्रित करने तथा नियमित स्कूलों में सीखने की समस्याओं से ग्रस्त बच्चों को पढ़ाने के लिए उपचारी पैकेज विकसित करने के लिए यह परियोजना आरंभ की गई।

4.1.3 मानसिक मंदन और बहु-संवेदी बच्चों के लिए सेवा प्रतिमान

समुचित सेवा प्रतिमानों सहित शिक्षा व्यवस्था, पद्धतियों, सामग्रियों और शिक्षक तैयार करने के विषयों व मौजूदा शिक्षा व्यवास्था में मानसिक मंदन और बहु-संवेदी क्षतियों से ग्रस्त बच्चों को शामिल करने योग्य विषयों के विकास के उद्देश्य से यह परियोजना आरंभ की गई।

4.1.4 मानसिक मंद व्यक्तियों के दृश्य विकलांगता अभिज्ञान का अंश

मानसिक मंद व्यक्तियों में दृश्य विकलांगता का सही आकलन उनकी अन्तर्निहित शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ को उजाकर करने में अवश्य योगदान देगा। मानसिक मंद व्यक्तियों में दृश्य विकलांगता के अंश का मापन करने के लिए प्रणालीबद्ध अध्ययन आयोजित किया जाता है ताकि यह उनकी दृश्य विकलांगता की मात्रा का उचित आकलन करने में मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ साथ बेहतर प्रबंधन कार्यक्रम भी प्रदान करें।

4.1.5. 0-3 वर्षों की आयु के बच्चों के लिए हस्तक्षेप के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देशज प्रथाओं का अध्ययन

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शिशु पालन की प्रथाओं को जानने और सकारात्मक प्रथाओं से निहित हस्तक्षेप का माड्यूल विकसित करने तथा 0-3 वर्ष के बीच की आयु वाले बच्चों के प्रशिक्षण के लिए नकारात्मक प्रथाओं को सुधारने के लिए यह परियोजना शुरु की गई।

4.2 चालू अनुसंधान परियोजनाएँ

वर्तमान में 13 अनुसंधान परियोजनाएँ चालू हैं, विवरण निम्नानुसार हैं।

4.2.1 विकलांगता क्षेत्र में कार्यरत् संगठनों के कार्यों तथा उनके द्वारा निधियों के उपयोग के आकलन के लिए साधनों का विकास

भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए बने विधानों तथा समर्थन युक्त नीतियों के प्रादुर्भाव से उन्हें दी जाने वाली सेवाएँ गति पकड़ रही है। सेवा प्रदान करने वालों में अधिकांश गैर सरकारी संगठन हैं, जिनके भिन्न-भिन्न उद्देश्य एवं भिन्न-भिन्न संरचनात्मक सुविधाएँ हैं। एक समान ढंग से उनके कार्यों का मूल्यांकन करने उचित क्रियाविधि को विकसित करना अभी बाकी है। इस अध्ययन का उद्देश्य ऐसे साधन को विकसित करना है, जिससे इन गैर सरकारी संगठनों की सेंवाओं और कार्य विधियों की मानकताओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जा सके।

4.2.2 गंभीर मानसिक मंद विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम बनाना

परियोजना का आरंभ, गंभीर मानसिक मंद व्यक्तियों को पढ़ाने के पाठ्यक्रम तथा हस्तक्षेप कौशलों को विकसित करने के उद्देश्य से किया गया है। इन बच्चों में मिर्गी और भौतिक विकलांगताओं से जुडी समस्याएँ होंगी, जिससे कमजोर पूर्वानुमान का भी कारण बन जाता है। अनुसंधान अध्ययनों से पता चला कि, सतर्क अवधियों के दौरान की गई हस्तक्षेप ने गंभीर मानसिक मंद बच्चों में कौशलों को हासिल करने की दिशा में सकारात्मक प्रभाव सूचित किया है। उपर्युक्त अनुसंधान अध्ययनों के आधार पर मौजूदा परियोजना आरंभ की गई है।

4.2.3 विकलांग बच्चों को समर्थन - यु.एन.डी.पी. परियोजना

यह यु.एन.डी.पी. द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त परियोजना है जो किसी भी सीमा तक बच्चे की विकलांता को हिसाब में लिये बिना और बिना किसी विकलांग को छोड़ तमाम बच्चों को शिक्षा के नमूनों का प्रयोग करने के लिए है।

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की परियोजनाओं के तकनीकी मार्गदर्शन और मानव संसाधन विकास समर्थन प्रदान किया। इन राज्यों को शिक्षण सामग्रियाँ प्रदान की गयीं । इसके अलावा, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने निम्न विषयों के अध्ययन का कार्य भी हाथ में लिया है:

क) विकलांग बच्चों के शिक्षा की स्थिति, ख) विकलांग लड़कियों की स्थिति, ग) विकलांग बच्चों की शिक्षा के अनुसंधान का सार, घ) विकलांग बच्चों की शिक्षा में संतुष्ट विशिष्ट रिवाज़।

तकनीक मार्गदर्शन प्रदान करने के अलावा, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने परियोजना के प्रलेखन की बाध्यता ली है तथा मौजूदा कार्यक्रमों पर डेटाबेस का सृजन किया है।

4.2.4 मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए राहत देखभाल

यह परियोजना, मानसिक मंद बच्चों के परिवारों और अभिभावकों को प्रविलम्बन प्रदान करने के लिए प्रतिदर्श की स्थापना करने का उद्देश्य रखती है। परियोजना के अंतर्गत प्रविलम्बन देखभाल केन्द्र, नवम्बर 2002 से हैदराबाद में आरंभ किया गया।

4.2.5 ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग शिशुओं तथा बच्चों की प्रारंभिक हस्तक्षेप

यह परियोजना यु.एस.-भारत रुपया निधि की आर्थिक सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों के शिशुओं और बच्चों की आवश्यकताओं की विशिष्ट रूप से हस्तक्षेप पैकेज विकसित करने और मास्टर प्रशिक्षकों के लिए मैनुअल विकसित करने के लिए है जो व्यावसायिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करने के लिए है।

4.2.6 लार नियंत्रण और जीभ दबाने का चिकित्सा विज्ञान

लार टपकने को नियंत्रित करने के अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय तकनीकों को विकसित करने के उद्देश्य से यह परियोजना आरंभ की गयी। इस प्रकार एकत्रित सामग्री का आकलन किया जा रहा है।

4.2.7 लोकोमोटर कार्य तथा कौशलों को सुधारने अनुकूली साधनों का विकास

यह परियोजना मानसिक मंद व्यक्तियों के उपयोग के लिए तीन साधनों को विकसित करने हेतु आरंभ की गयी।

क) सिर और गर्दन के नियंत्रण को सुविधा प्रदान करने सर्वीकल कालर

ख) वाकर जो चलने में सुविधा प्रदान करे

ग) लार टपकने को नियंत्रित करने होंठ संवेदक / लिप सेंसर

4.2.8 मानसिक मंद और आटीजम वाले बच्चों के लिए सेवा प्रतिमान

उपयुक्त प्रशिक्षण प्रतिमानों की खोज करने तथा आटीजम वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने व विशेष स्कूलों में अध्यापकों द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली संसाधन सामग्रियों के विकास के लिए यह परियोजना आरंभ की गई है।

4.2.9 मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पर मैनुअल का विकास

मानसिक मंद व्यक्तियों को विभिन्न कार्यकलापों में प्रशिक्षित करने के साथ - साथ मानसिक मंद व्यक्तियों को कार्य करने के लिए सुविधाजनक कार्य पर्यावरण में आवश्यक अनुकूलनो / पुनर्संरचनाओं के लिए मैनुअल का विकास करने यह परियोजना आरंभ की गई।

4.2.10 कार्य स्थान में प्रौढ़ मानसिक मंद व्यक्तियों के क्रियात्मक संप्रेषण पद्धतियाँ

यह परियोजना में निम्नलिखित विषयों को देखा जाता है।

1) भाषा निष्पादन के लिंकेज

2) परिवहन क्रियाकलाप

3) जॉब के विभिन्न कामों की आवश्यकता

4.2.11 भारत में मानसिक मंदता का अनुसंधान - एक अध्ययन

यह अनुसंधान मानसिक मंदता के क्षेत्र में भारत में की गई अनुसंधान कार्य को इकट्ठा करने तथा लेख बनाने के लिए किया जा रहा हैं क्योंकि इसका प्रलेखन एक जगह पर नहीं हुई और आवश्यक व्यक्तियों को आसानी से उपलब्ध नहीं है।

4.2.12 मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए संज्ञानात्मक प्रशिक्षण - 2003

यह परियोजना का उद्देश्य मानसिक मंद बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रिया में कमियों को पहचनना और तत्पश्चात् उनमें संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संज्ञानात्मक कौशलों में उन्हें प्रशिक्षण देना है। यह परियोजना मानसिक मंद बच्चों के लिए संज्ञानात्मक प्रशिक्षण पैकेज का विकास करेगा।

4.2.13 मानसिक मंद व्यक्तियों के अभिभावकों में उदासीनता का प्रबंध के लिए संज्ञानात्मक व्यवाहर हस्तक्षेप का प्रभाव

यह परियोजना मानसिक मंद व्यक्तियों के अभिभावकों में उदासीनता का प्रभावी रूप से प्रबंध करने के लिए मैनुअल विकास करने के लिए आरंभ किया गया। यह पुस्तिका मानसिक मंदता के क्षेत्र में कार्यरत् परामर्शदाताओं के लिए भी उपयुक्त है।

राष्ट्रीय मानसिक विकलाँग संस्थान के प्रकाशन

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने अपने अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के परिणाम स्वरूप कुल 78 मौलिक प्रकाशनों के साथ-साथ मानसिक मंद व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में 359 पुस्तकों, गाइड़ों और अन्य सामग्रियों का प्रकाशन किया जिसमें हिन्दी, कन्नड, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और आओ (जनजातीय), असमिया, बंगाल, गारो, खासी, मणिपुरी, मीजो, नागा, के उत्तर पूर्वी भाषाओं और उर्दू और कश्मिरी भाषाओं में अनुवाद भी सम्मिलित है।

प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान 8 नये प्रकाशन थे : (1) श्रवण-अंध तथा अतिरिक्त विकलांग बच्चों के शिक्षा - शिक्षकों के लिए स्त्रोत पुस्तक, (2) प्राथमिक स्कूलों में अधिगम समस्या वाले बच्चों की शिक्षा - शिक्षकों के लिए संसाधन पुस्तक, 3) चलन संबंधी समस्यावाले बच्चों तथा शिशुओं की स्थिरता तथा प्रेरणा क्रियाकलाप, (4)रैपिड- विकलांग व्यक्तियों की पहचान के लिए पहुँच तथा कार्यक्रम बनाना, (5) मानसिकमंद व्यक्तियों के लिए संप्रेषण कौशलों में प्रशिक्षण- अभिभावकों के लिए उपयोग पुस्तिका, (6) व्यावसायिक शिक्षा पाठचर्या - सिरीज III, (7) बच्चों में दृष्टि प्रेरक क्रियाकलाप - अभिभावकों एवं देखभाल कर्ताओं के लिए गाईड, (8) आटीजम स्पेक्ट्रम अव्यवस्थाएँ - चयनित लेख।

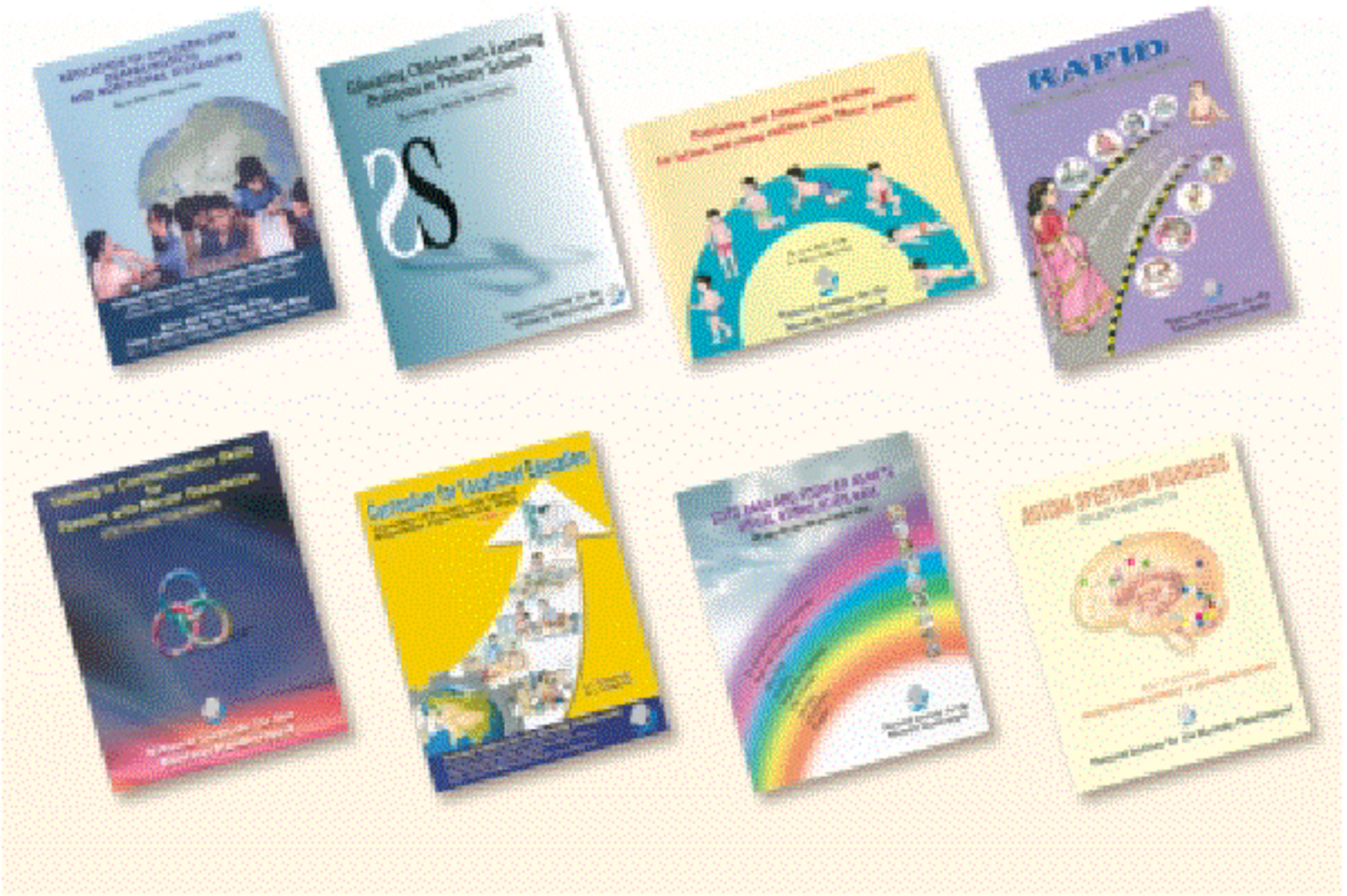

सेवा प्रतिमान

6.1 सामान्य सेवाएँ

संस्थान, मामले का इतिहास, भौतिक व स्वास्थ्य परीक्षण, बौद्धिक और विकासीय मूल्यांकन, विशेष शिक्षा मूल्यांकन, रोगोपचार आवश्यकताओं का मूल्यांकन, व्यावसायिक मूल्यांकन और मौलिक बायोकेमिकल स्क्रीनिंग और परीक्षण के कार्य करता है । गृह-आधारित प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम की योजना बनायी जाती है और कौशल प्रशिक्षण गृह प्रबंधन के लिए चिकित्सा कार्यक्रम संचालित करने जनकों को प्रदर्शन कराये जाते हैं । वर्ष 2002-03 के दौरान देखे गए कुल 3123 क्लांईटों की तुलना में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय केन्द्र - मुम्बई, कोलकता तथा नई दिल्ली में कुल 3381 क्लाईटों को देखा गया था।

वर्ष 2003-04 के दौरान देखे गए नए क्लाइंटों की विवरण सारणी IV मे दर्शाया गया है।

सारणी - IV वर्ष 2003-04 के दौरान परीक्षण किये गये नये क्लाइंट

सेवाएँ	2002-03	2003-04
सामान्य सेवाएँ	3123	3381
स्वास्थ्य सेवाएँ	2897	3114
व्यवहार तरमीमें	1614	1883
विशेष शिक्षा	2118	2509
भौतिक चिकित्सा-विज्ञान	479	579
व्यावसायिक चिकित्सा विज्ञान	417	698
बायो-रासायनकी	1662	1432
जनक परामर्श	3072	3195
आरंभिक मध्यस्थता सेवाएँ	436	410
वाक्, भाषा और श्रवण	1104	951
पारिवारिक कुटीर	884	425
व्यावसायिक प्रशिक्षण	255	584
ई ई जी	213	243
बहुविध विकलांगता एकक	149	149
वर्ग क्रिया कलाप	147	164
पोषण सलाह	147	187
विस्तृत मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन	1096	1565
संगणक सहायक अनुदेशन	51	35
एफ.सी.आई.एस.	-	144
आत्मविमोह और मानसिक मंदन	74	73
धीमी गति से सीखने वालों के लिए कक्ष	46	132
संवेदीक्षति और मानसिक मंदन	20	157
पी.एम.आर.	-	30
हाइड्रोथेरपी	208	191
बौद्धिक मूल्यांकन	2033	1776
कार्य स्थल (व्यावसायिकी)	114	127
संसाधन कक्ष (दृश्य प्रखरता)	756	993
कुल	23,124	25,127

6.2 विशेष सेवाएँ

कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन योजना द्वारा गृह आधारित प्रशिक्षण प्राप्त करना ही विशेष सेवाओं का उद्देश्य है। बाहर से आनेवाले व्यक्तियों के लिए, परिवार कुटीर सुविधा प्रदान की जाती है । जहाँ कहीं जरूरी हो ग्राहकों को स्थानीय संस्थाओं से सेवाएँ प्राप्त करने के लिए उचित रेफरल प्रदान किये जाते हैं, जबकि राष्ट्रीय मानसिक

विकलाँग संस्थान में आवधिक परामर्श जारी रहता है । जनकों और परिवार के सदस्यों और समय-समय पर जनक प्रशिक्षण के संगठन को सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए संस्थान द्वारा प्रकाशित फोल्डरों, पोस्टरों और पुस्तकों को नाम मात्र की लागत लेकर विशेष सेवाओं को पृष्ठ-समर्थन प्रदान किया जाता है । गत वर्ष 39,061 अनुवर्ती ग्राहकों को देखे जाने की तुलना में प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान विशेष सेवाओं के अंतर्गत 46,777 अनुवर्ती क्लाईंटों को देखा गया जिसके विवरण सारणी V में दर्शाया गया।

सारणी - V वर्ष 2003-04 के दौरान देखे गये अनुवर्ती क्लाईंट

सेवाएँ	2002-03	2003-04
स्वास्थ्य सेवाएँ	8248	8831
व्यवहार तरमीमें	1832	2865
विशेष शिक्षा	3956	4644
भौतिक चिकित्सा-विज्ञान	2279	2791
व्यावसायिक चिकित्सा विज्ञान	420	580
जनक परामर्श	3535	4481
विस्तृत मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन	1062	2364
आरंभिक मध्यस्थता सेवाएँ	2412	4862
वाक्, भाषा और श्रवण	4582	3948
पारिवारिक कुटीर	384	1162
एफसीआईएस	228	310
व्यावसायिक प्रशिक्षण	783	564
बहु विकलाँगता एकक	417	414
वर्ग कार्य कलाप	3585	1222
पोषण	151	192
संगणक सहायता प्राप्त अनुदेश	617	894
आत्मविमोह और मानसिक मंदन	667	1149
मंद गति से सीखनेवाले	269	83
संवेदी क्षति और मानसिक मंदन	766	847
पी.एम.आर.	-	265
हाइड्रोथेरपी	765	706
संसाधन कक्ष (दृश्य प्रखरता)	-	25
कार्य स्टेशन (व्यावसायिक)	2103	3578
कुल	39,061	46,777

6.2.1 आयुर्विज्ञान सेवाएँ

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में पंजीकृत मामलों का सामान्य स्वास्थ्य मूल्यांकन तथा नैदानिक रोगनिर्धारण के लिए मूल्यांकन किया जाता है। आयुर्विज्ञान प्रबंध व्यक्तिगत तथा आवश्यकता आधारिक होता है और मिर्गी, हायपरकैनेटिक व्यवहार, पौष्टिकता संबंधी क्षतियाँ, संक्रामक रोग, हार्मोनल क्षतियाँ, मानसिक रुग्मता, आदि जैसे संबंधित स्थितियों पर सूचना एवं उपचार भी दिया जाता है। कम आय वर्ग के परिवारों को मिर्गी, हायपरकैनेसिस तथा मानसिक रुग्मता के लिए दवाइयाँ मुफ्त दी जाती हैं।

6.2.2 प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएँ

0-3 वर्षों की आयु वर्ग के शिशुओं और बच्चों में विकासात्मक विलम्बता होता या विकासात्मक विलम्बता के जोखिम होते हैं, उनके लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएँ बच्चे के सर्वोपरि विकास के लिए निवारण, औषधीय, औपचारिक होते हैं। प्रदान की जा रही सेवाएँ, बच्चे पर केन्द्रित होते हैं तथा परिवार अभिमुखी होते हैं और बहुविषयी विशेषज्ञों के दल द्वारा प्रदान की जाती हैं। भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, वाणी तथा भाषा चिकित्सा, शिशु विकास, बालचिकित्सा तथा मनो-सामाजिक तथा परिवार हस्तक्षेपों में व्यक्तिगत हस्तक्षेप बच्चे के प्रदान किया जाता है। प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं द्वारा अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अभिभावक प्रोत्साहन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है तथा वर्ग चिकित्सा, खेल चिकित्सा, व्यक्तिगत मार्गदर्शन तथा परामर्श भी दिया जाता है। समुचित रेफरल भी किया जाता है।

6.2.3 विशेष शिक्षा सेवाएँ

मानसिक मंद बच्चों का स्वयं-सहायक कौशलों, सकल तथा सूक्ष्म मोटर कौशलों, कार्यात्मक पढ़ने-लिखने के कौशलों, समय, धन और उससे संबंधित ज्ञानात्मक कौशलों जैसे विभिन्न कौशल क्षेत्रों में वर्तमान कार्यात्मकता स्तर, का मूल्यांकन किया जाता है । मूल्यांकन की सभी स्थितियों, वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाने और आईईपी के कार्यान्वयन में जनकों को शामिल किया जाता है । भारतीय संदर्भ में विभिन्न अधिगम साधनों और उपकरणों का उपयोग किया जाता है । कंप्यूटर सहायता प्राप्त प्रशिक्षण माड्यूलों का उपयोग जरूरतमंद की विशेष शिक्षा सेवाओं की कुशलता को तीव्रगतिमान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ।

6.2.4 व्यवहार परिवर्तन सेवाएँ

मानसिक मंद व्यक्ति जो आज्ञोल्लंघन, सिर पीटने, अपने-आपको काटने, स्वयं को जख्मी करने, अत्यधिक रोने जैसे समस्यात्मक व्यवहारों से और अन्य विशाल भिन्न-भिन्न समस्यात्मक व्यवहार हों तो इस सेवा के अन्तर्गत उन्हें लिया जाता है । व्यवहार की आवृत्ति और गंभीरता ज्ञात करके विस्तृत मूल्यांकन के बाद, ऐसे व्यवहारों को प्रभावित करनेवाले घटकों को मालूम करने कार्यात्मक विश्लेषण किया जाता है । लक्ष्य व्यवहारों के घटित होने की स्थिति में समुचित मध्यस्थताओं पर कार्यक्रम विकसित करके जनकों को अनुदेश दिये जाते हैं । प्रगति को बनाये रखने के लिए नियमित अंतरालों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है ।

6.2.5 मार्गदर्शन और परामर्शी सेवाएँ

जनकों में पाये जाने वाले भ्रमात्मक विचारों के निपटान के पश्चात् मानसिक मंदन की प्रकृति को समझने और बच्चे के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं को समझने का मार्गदर्शन दिया जाता है। परिवार व्यवस्था में बच्चे के सुव्यवस्थित विकास को प्रोन्नत करने हेतु पालकों की अपेक्षाओं को हिसाब में लिया जाता है । परिवार में मानसिक मंद बच्चे का साथी देने में जनकों की भावुकतापूर्ण समस्याओं को भी सुलझाया जाता है ।

6.2.6 वाक् चिकित्सा-विज्ञान और श्रवण विज्ञान

वाक् तथा भाषा विकास में देरी मानसिक मंदन के लक्षणों में से एक है । बहुत सारे बच्चे भी भिन्न-भिन्न प्रकार की श्रव्य-त्रुटियाँ भी प्रस्तुत करते हैं । जिन रोगियों को सेवाओं की आवश्यकता होती है उनका विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है । वाक् तथा भाषा मध्यस्थता पैकेज बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार विकसित की जाती है । व्यावसायिकों की सलाह से घर पर ही हस्तक्षेप करने के लिए जनकों को मार्गदर्शन दिया जाता है।

6.2.7 भौतिक चिकित्सा विज्ञान सेवाएँ

प्रमस्तिष्क आघात, असामान्य मोटार स्थितियाँ, चलन संबंधी अव्यवस्थाएँ, लोकोमोटार अपसामान्यता, कंजीनिटल अपसामान्यता, आदि जैसे चलन संबंधी समस्यावाले मानसिक मंद बच्चें के लिए इस इकाई में सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। विस्तृत मूल्यांकन के पश्चात्, वैयक्तिक हस्तक्षेप दिया जाता है। चिकित्सीय हस्तक्षेप सारग्राही के होते हैं और व्यायाम, हाईड्रोथिरेपी, स्थितियों को तथा चलन अव्यवस्थाओं को सही बनाना, गेइट प्रशिक्षण तथा सर्वोपरि विकास को बढ़ाना, चलन प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अनुकूलन, आदि शामिल हैं। जिन क्लाईंटों को सहायता साधन तथा उपकरण और दोषनिवारक शल्य चिकित्सा की जरूरत होती है, तो उन्हें उचित एजेंसियों के पास भेजा जाता है।

6.2.8 एलेक्ट्रोएनसेफालोग्राम

एलेक्ट्रोएनसेफालोग्राम (ई.ई.जी.) दिमाग की फिजियालजी समझने की मूल प्रक्रिया है। दिमाग के विभिन्न भागों की संरचना तथा कार्य में पैथालजी संबंधी परिवर्तनों को पहचनाने के लिए यह सहायक होता है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मिर्गी के प्रकार तथा एपिलेप्टिक सिन्ड्रोम के रोगनिर्धारण किया जा सके। मानसिक मंद व्यक्ति में न्यूरोलोजी क्षतियाँ होती हैं उनके समाविष्ट निर्धारण के लिए ई.ई.जी. एक आवश्यक प्रक्रिया है। उपचार के प्रभाविता को मूल्यांकन करने के लिए भी ई.ई.जी. उपयोग किया जाता है। मिर्गी की समस्या सामान्य लोगों(1%) की तुलना में मानसिक मंद लोगों (30%) में अधिक होता है ।

6.2.9 बहु-विकलाँगता एकक

मानसिक मंद बच्चों में श्रवण क्षति, दृष्टि क्षति और भौतिक क्षति जैसी अतिरिक्त समस्याएँ होने पर इस सेवा में उनपर विशेष ध्यान दिया जाता है । बहु-विषय ज्ञाता व्यावसायिकों के दल द्वारा उन्हें व्यापक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। हफ्ते के हर गुरुवार को विशेष चिकित्सालय में आर्थोपैडिक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

6.2.10 आनुवंशिकी-विज्ञान चिकित्सालय

भावी संतान में आनुवंशिकी या जन्म-दोषों के घटन की संभावनाओं के संबंध में विशेषज्ञ सलाह माँगने वाले जनकों को आनुवंशिकी परामर्शदात्री सेवाएँ प्रदान की जाती हैं । बायोकेमिकल, क्रोमोसोमल और साइटोजेनेटिक जाँचों के लिए क्लाईंटों को सहयोगी संस्थानों जैसे हैदराबाद में स्थित आनुवंशिकी विज्ञान संस्थान, सी.डी.एफ.डी. तथा सेन्टर फार सेल्युलर एन्ड मालिक्युलर बायोलोजी को भेजा जाता है । स्वास्थ्य तथा आनुवंशिकी-विज्ञान विशेषज्ञगण का दल परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है ।

6.2.11 बायोकेमिस्ट्री सेवाएँ

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में आयुर्विज्ञान सेवाओं का बायोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला द्वारा समर्थन दिया जाता है। बायोकेमिकल जाँच (मेटाबालिक जाँच) मानसिक मंद बच्चों से संबंधित बायोकेमिकल या मेटाबालिक अव्यवस्थाओं जैसे अमीनोएसिडपैथीस, ग्लैकोजेन स्टोरेज अव्यवस्थाएँ तथा म्यूकोपोलीसैकारिडोसेस्, आदि की पहचान के लिए तथा सामान्य स्वास्थ्य की जाँच या भौतिकीय स्थिति देखने के लिए बायोकेमिकल परीक्षाएँ की जाती हैं। रोगनिर्धारण, उपचार, परामर्श तथा मानीटर करने के लिए यह सहायक होता है।

6.2.12 व्यावसायिक प्रशिक्षण

मानसिक मंद व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास को व्यावसायिक प्रशिक्षण और नौकरी दिलाने की सेवाओं के जरिए प्रोन्नति दी जाती है । मानसिक मंदन वाले प्रौढ़ों को आरंभ में जेनेरिक प्रशिक्षण और तत्पश्चात् नौकरी के साथ प्रशिक्षण दिया जाता है । नौकरी पर प्रशिक्षण एक क्लाईंट से दूसरे क्लाईंट के लिए भिन्न होता है, जो उस रोगी को उसके रहने के स्थान की बस्ती में उपलब्ध जॉब के अवसरों पर आधारित होता है । जिस स्थान पर काम स्थित है वहीं पर स्वतंत्र रूप से काम करने योग्य होने तक क्लाईंट को दीर्घकालीन समर्थन प्रदान किया जाता है ।

6.2.13 परिवार कुटीर सेवाएँ

राष्ट्रीय मानसिक विकलाँग संस्थान में दूरस्थ स्थानों से आने वाले परिवारों के लिए परिवार कुटीर सेवा उपलब्ध है । परिवार दो सप्ताहों तक यहाँ रुककर व्यावसायिक सेवाएँ तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही कौशल प्रशिक्षण, व्यक्तिगत परिवार परामर्श समस्या व्यवहारों का प्रबंधन, वाक्-भाषा चिकित्सा, स्वास्थ्य सलाह, भौतिक चिकित्सा, मनोरंजक क्रियाकलाप और आवश्यक सहायता भी प्राप्त कर सकता है । ये कुटीर जनकों को उनके दैनंदिन जीवन से दूर होकर बच्चे की आवशयकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हैं।

6.2.14 हाइड्रोथेरपी सेवाएँ

मानसिक मंद व्यक्तियों के इलाज में हाइड्रोथेरपी का विशेष लाभ है, विशेषकर ऐसे व्यक्तियों के लिए जो जोड़ों के दर्द, सूजनों, कड़ापन, माँसपेशी कमजोरी, अतिपेशीतानता (स्पैस्टीसिटी) आदि से भी पीड़ित हों । संस्थान ने मानसिक मंदन के साथ विभिन्न शारीरिक पीड़ाओं से ग्रस्त व्यक्तियों को हाइड्रोथेरपी की सेवाएँ प्रदान करता है ।

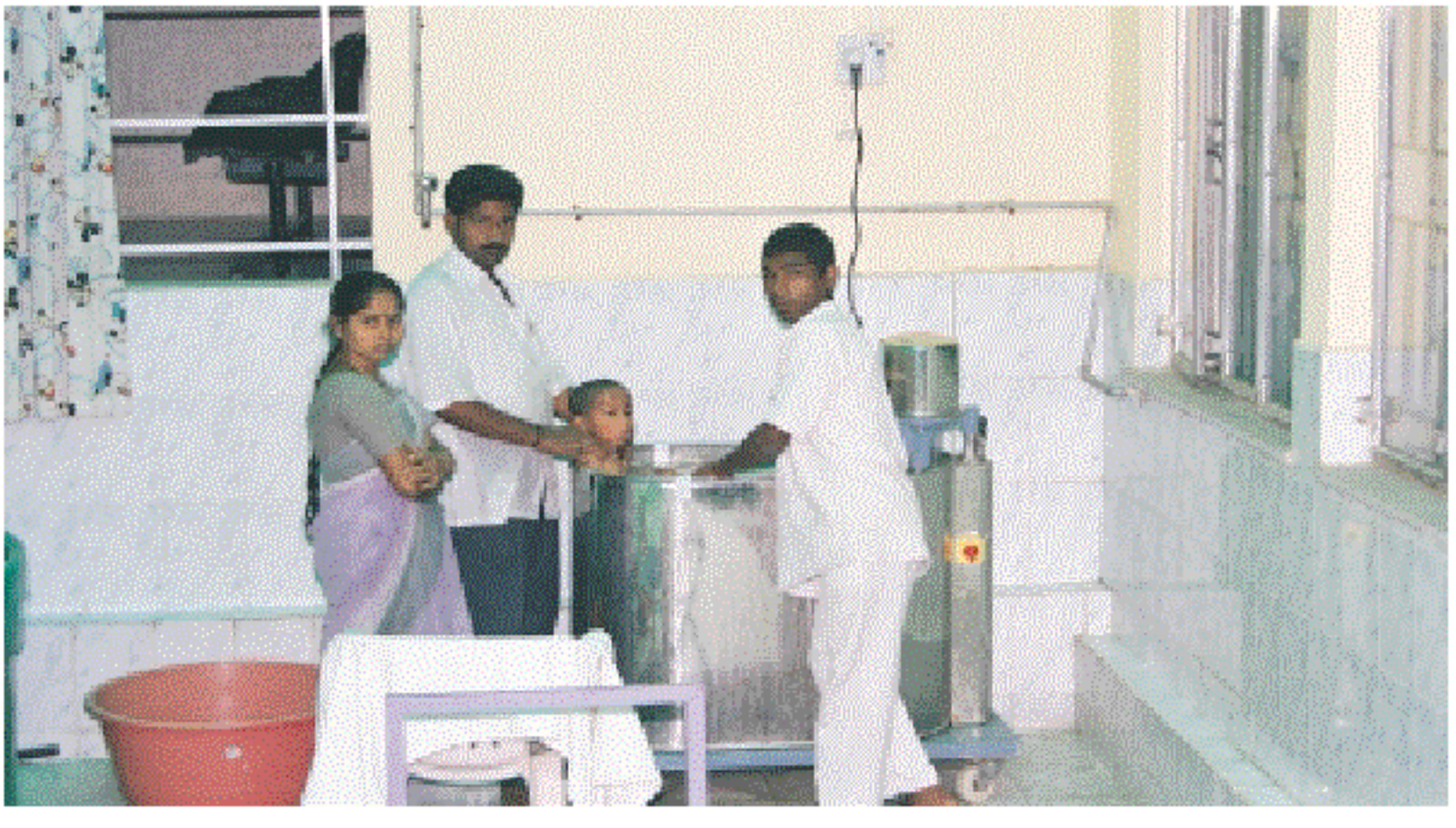

6.2.15 संगणक सहायता प्राप्त अनुदेशन

विशेष शिक्षा विभाग द्वारा मानसिक मंद व्यक्तियों के अनुरूप छ: साफ्टवेयर पैकेजों का विकास किया है। इन पैकेजों के शीर्ष हैं - मेरा देश, समुदाय उपयोगिता, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सजीव तथा निर्जीव, लिटरसी, न्यूमरसी जिससे शैक्षिक अधिगम बढ़ता है। संस्थान में पंजीकृत व्यक्तियों को तथा विशेष स्कूल में आने वाले बच्चों को नियमित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं ताकि संगणक की ओर अनावरण हो सकें तथा छोटे-छोटे अनुकूलन से साफ्टवेयरों का उपयोग कर सकें। मानसिक मंदता के साथ न्यूरोमोटार समस्या के कारण कम्प्युटर साफ्टवेयरों तथा हार्डवेयर पेरिफेरल्स का अनुकूलन किया गया ताकि मानसिक मंद बच्चें आसानी से उपयोग कर सकें।

6.2.16 आत्मविमोह और मानसिक मंदन

यह अनुमान लगाया गया है कि आत्मविमोह से ग्रस्त 75% लोग मानसिक मंद होते हैं । मानसिक मंदन वाले बच्चों के स्कूलों में आत्मविमोह और मानसिक मंदन वाले बच्चे पाये जाते हैं, अत: यह आवश्यक है कि शून्य - अस्वीकृत हासिल करने के लिए उन्हें उचित शैक्षिक सेवाएँ प्रदान की जाएँ । इस बात को दृष्टि में रखकर आत्मविमोह और मानसिक मंदनवाले व्यक्तियों के लिए अनन्य सेवाएँ शुरू की गयी हैं । परियोजना कर्मचारियों को आत्मविमोह का प्रबंध तथा प्रत्येक व्यक्ति पर ध्यान देने हेतु प्रशिक्षण दिया गया ताकि आई.ई.पी. तथा छोटे वर्ग अनुदेशन कार्यान्वित कर सकें। इसके अतिरिक्त, नियमित तथा विशेष स्कूलों के शिक्षकों को परामर्शी समर्थन दिया जाता है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में इन बच्चों को "मानसिक मंदता तथा आत्मविमोह बच्चों के लिए सेवा प्रतिमान" परियोजना के अंतर्गत सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, इन्हें विशेष स्कूलों में या नियमित स्कूलों में भर्ती किया जाता है ताकि उन्हें वर्ग अनुभव भी मिल सके।

6.2.17 मानसिक मंदन और संवेदी क्षति

मानसिक मंदन के साथ-साथ दृष्टि और / या श्रवण क्षति से ग्रस्त बच्चों को वर्ग प्रशिक्षण की आवश्यकता के अतिरिक्त विशेष शिक्षा की भी जरूरत होती है । चूँकि उनमें दृष्टि और श्रवण की दोनों संवेदनाएँ क्षतिग्रस्त होती हैं, उन्हें दिये जाने वाली प्रशिक्षण पद्धतियाँ और सामग्रियों को अनुकूलनों की आवश्यकता होती है । इसे नजर में रखते हुए ऐसे बच्चों के लिए अनन्य सेवाएँ शुरू की गयीं । इन बच्चों को अपने कक्षा अनुभव के अलावा प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा प्रत्येक ध्यान दिया जाता है। उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरणीय तरमीम किये गये थे । इस अनुभव के परिणाम स्वरूप में, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा वाइस एन्ड विशन टास्क फोर्स के सहयोग से श्रवणांध के लिए एक मैनुअल विकास की गई।

6.2.18 धीमी गति से सीखनेवालों के लिए संसाधन कक्ष

सीमान्त बौद्धिकता और हल्के मानसिक मंदन ग्रस्त अधिकाँश विद्यार्थी नियमित स्कूलों में ही अध्ययन करते हैं, फिर भी, उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा जो वर्तमान समय में विशेष स्कूलों में नहीं दी जा रही है, के अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता है । इस खाई को पाटने के लिए राष्ट्रीय मानसिक विकलाँग संस्थान ने धीमी गति से सीखनेवाले बच्चों के लिए संसाधन कक्ष आरंभ किया है जहाँ ऐसे बच्चों को, उनके स्कूली घंटों के अलावा अतिरिक्त सम्थर्न मिलता है । संसाधन कक्ष का शिक्षक भी नियमित क्लासटीचर के समन्वयन से कार्य करता है

ताकि प्रशिक्षण में निरन्तरता बनी रहे। यु.एन.डी.पी. के आर्थिक सहायता से, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विकलांग बच्चों के शिक्षा का समर्थन हेतु परियोजना दल द्वारा एक संसाधन मैनुअल विकास की गई।

6.2.19 मानसिक मंदनवाले व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वर्कस्टेशन

देश में मानसिक मंद लोगों के लिए विशेष शिक्षा प्रदान करनेवाले 1000 से अधिक संगठन हैं । ये संगठन 5-18 वर्षों के बीच की आयुवाले मानसिक मंदनवाले व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करते हैं । स्कूली शिक्षा के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करनेवालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है । कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में से अधिकाँश परिरक्षा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं । इस कारण से व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कोई निर्धारित व प्रणालीबद्ध नियमावली उपलब्ध नहीं है । व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया को सही ढंग से चलाने के लिए रा.मा.वि.संस्थान ने मानसिक मंद लोगों के लिए चरणबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु वर्कस्टेशन आरंभ किये हैं । मानसिक मंद व्यक्तियों के जेनेरिक कौशलों का मूल्यांकन करने के बाद ज्ञानात्मक, मोटर और सामाजिक क्रियाशीलता को प्रेरित करने प्रबंधन योजना बनायी जाएगी और उन्हें भिन्न-भिन्न वर्क स्टेशनों में रखा जाएगा । मानसिक मंद लोगों को आरंभ में विभिन्न कौशलों को विकसित करने विभिन्न क्रियाकलापों में प्रशिक्षित किया जाएगा । छह महीने के सफल प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षार्थी को खुले / समर्थित / स्व-समर्थित / परिरक्षित में रोजगार दिया जाएगा । प्रशिक्षण समय पर ही नौकरियों की पहचान करने के प्रयास किये जाएँगे और जनकों को उनके बच्चों के लिए भावी नौकरियाँ तलाश करने प्रोत्साहित किया जाएगा ।

6.2.20 मानसिक मंद व्यक्तियों की दृष्टि प्रखरता के लिए संसाधन कक्ष

मानसिक मंदन सहित दृष्टि क्षति बहुत असामान्य बात नहीं है । परंतु दृष्टि क्षति के साथ मानसिक मंदन का होना रोगी के मूल्यांकन और प्रबंधन को और भी मुश्किल बना देता है । यह महसूस किया गया कि दृष्टि क्षति वाले मानसिक मंद व्यक्ति का यदि यदार्थ मूल्यांकन किया जाए तो उनकी क्षमताओं में सर्वोत्कृष्टता को बाहर लाने में योगदान देता है। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि इस बहुविकलांगता के कारण उनकी प्रवृत्तियों और साथ ही साथ उनकी अपनी सीमाओं को जानना पड़ता है । इस बात को नजर में रखकर मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए दृष्टि क्षति होने पर उनके लिए एक संसाधन सुविधा आरंभ की गयी ताकि मानसिक मंदनवाले व्यक्तियों की दृष्टि विकलाँगता के उचित मूल्यांकन तथा प्रबंधन के लिए बेहतर योजना बनाई जा सके ।

6.2.21 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान की परीक्षा के लिए खुली मौलिक शिक्षा के लिए संसाधन कक्ष

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान ने देश भर के सुप्रसिद्ध संगठनों के सहयोग से दूरगामी शिक्षण पद्धति के द्वारा खुला मूल शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया।

अल्प मानसिक मंदन और हाशियागत बौद्धिकतावाले बहुत सारे बच्चों के लिए सही शिक्षा सुविधा नहीं है क्योंकि वे विशेष स्कूल प्रणाली और नियमित शिक्षा के उपयुक्त नहीं होते । ये बच्चे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान के खुला मौलिक शिक्षा कार्यक्रम से लाभ उठा पाएँगे क्योंकि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान में सरलीकृत चरणबद्ध सीखने की प्रणाली है । इससे विशेष स्कूल तथा नियमित स्कूल के बीच के अन्तर को पाटने में भी मदद मिलेगी ।

इस बात के मद्देनजर, वर्ष 2002-03 के दौरान संस्थान ने हाशियागत बौद्धिकता वाले और अल्प मानसिक मंदनवाले बच्चों को प्रशिक्षित करने हेतु संसाधन कक्ष आरंभ किया, जिससे कि वे राष्ट्रीय खुला विद्यालयी शिक्षा के खुला मौलिक शिक्षा कार्यक्रम में परीक्षा देकर अपने-आपको अर्हता प्राप्त बना सकें । वर्ष 2003-04 के दौरान 13 बच्चों को प्रवेश दिया गया और उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान की परीक्षा के लिए प्रशिक्षित किया गया।

6.2.22 हैदराबाद और सिकन्दराबाद के पहुँच के बाहर के क्षेत्रों में मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए मोबाइल सेवा।

नगरद्वय में रहनेवाले तथा राष्ट्रीय मानसिक विकलाँग संस्थान में पंजीकृत क्लाइंट अनुवर्ती सेवाओं के लिए या तो वित्तीय समस्याओं या आने-जाने की समस्याओं के कारण नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो पाते । इसके अलावा, मानसिक मंद के कुछ लोग सुविधाओं का लाभ उठाने की जानकारी के अभाव में सेवाएँ प्राप्त कर नहीं पाते । ऐसे लोगों के पास जाकर उन्हें सेवाएँ प्रदान करने के लिए संस्थान ने हैदराबाद एवं सिकन्दराबाद नगरद्वय के अतराफ चलती-फिरती सेवा आरंभ की है । चलती-फिरती (मोबाइल) सेवाओं के अंतर्गत संस्थान की गाड़ी विशेष शिक्षक को लेकर सेवाएँ प्रदान करने के लिए विभिन्न बस्तियों में जाकर उस क्षेत्र में रहनेवाले मानसिक मंद की सेवा करेगी । बस में टी.एल.एम की सुविधा है और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक जगह भी है।

6.2.23 मनोरंजनम - गहरे मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए संसाधन कक्ष

यद्यपि वर्षों से मानसिक मंदन के रोगियों के लिए सेवा कार्यक्रम काफी बढ़ गये हैं, फिर भी बहुत कम संगठन गहरे मानसिक मंदन के व्यक्तियों को सेवा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि गहरे मानसिक मंद व्यक्तियों को अधिक विशेषज्ञ सेवाएँ और उन्हें प्रशिक्षित करने व्यावसायिकों की आवश्यकता होती है । इस वर्ग के मानसिक मंदन के व्यक्तियों को अपर्याप्त सेवाओं का कारण चलना-फिरना और परिवहन समस्या है । गहरे मानसिक मंद वाले अधिकाँश बच्चे शारीरिक विकलाँगता से ग्रस्त होते हैं, जिनमें से कुछ मानसिक मंदन के साथ मिर्गी के रोग के भी शिकार होते हैं । फिर भी गहरे मानसिक मंद बच्चों की शिक्षा पर किये गये अनुसंधान अध्ययन से पता चलता है कि यदि उन्हें प्रणालीबद्ध प्रशिक्षण दिया जाए तो वे भी कुछ मूल कुशलताओं को सीख पाते हैं। अन्यों पर आश्रितता कुछ सीमा तक कम हो जाती है । इस बात के मद्देनजर, संस्थान ने गहरे मानसिक मंद व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने वर्ष के दौरान मनोरंजनम नामक सेवा सुविधा आरंभ की है ।

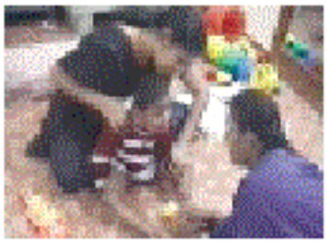

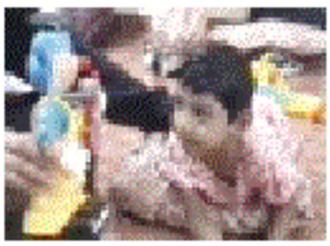

विशेष शिक्षा केन्द्र

01. मानसिक मंद व्यक्तियों में विशेष रुचि के प्रतिभा को प्रोन्नति देने के लिए 1 मई से जून 2003 तक ग्रीष्म शिविर का आयोजन किया गया।

02. जेनेटिक संस्थान, उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा 30 अगस्त, 2003 को आयोजित फैन्सी ड्रेस तथा आर्ट एन्ड क्राफ्ट जैसी अंतरविद्यालयी प्रतियोगिताओं में केन्द्रे के छ: विद्यार्थी ने भाग लिया।

03. सालारजंग म्यूजियम, हैदराबाद में 20 नवम्बर, 2003 को आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में विशेष शिक्षा केन्द्र के पाँच विद्यार्थी भाग लिये और पुरस्कार प्राप्त किये।

04. उस्मानिया विश्विविद्यालय, हैदराबाद में 23.11.2003 को आयोजित अंतरजिला स्कूल खेल प्रतियोगिता में केन्द्र के 14 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

05. नीलोफर अस्पताल प्रेक्षागृह, हैदराबाद में 5.12.2003 को आयोजित अंतरपाठशाला कला व सांस्कृति प्रतियोगिता में आठ विद्यार्थियों ने पुरस्कार प्राप्त किया।

06. हैदराबाद में 13-14 मार्च, 2004 को आयोजित अंतरस्कूल राज्य स्तरीय विशेष ओलम्पिक फ्लोर हाकी प्रतियोगिता में 22 केन्द्र विद्यार्थियों ने भाग लिया।

07. कोयमबतूर में 18-21 मार्च, 2004 को आयोजित राष्ट्रीय विशेष ओलम्पिक फ्लोर हाकी प्रतियोगिता में दो व्यक्ति ने भाग लिया।

माडल स्कूल फार दि मेंटली डिफीसियेन्ट चिल्ड्रन

नई दिल्ली

स्कूल के उपस्थिति पंजी पर 92 बच्चें थे जिनमें से 23 छात्रावास थे और 69 अनावासीय विद्यार्थी थे।

एम.एस.एम.डी.सी. द्वारा मानसिक मंद बच्चों को सेवाएँ प्रदान की गईं।

वर्ष 2003-04 के दौरान कुल 521 अउटपेशेन्ट मामलों, 110 मानसिक मंद बच्चों तथा उनके परिवारों को गृह आधारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया गया।

प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान, व्यवहार समस्याएँ, कक्षा तथा / या होस्टल में असमायोजन, कुशल प्रशिक्षण, अंतरव्यक्तित्व संबंध, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार, आदि समस्याओं के लिए अभिभावकों को 393 परामर्शी सत्रों के दौरान सेवाएँ प्रदान की गईं।

प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान, माडल स्कूल द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किये गये।

लक्ष्य वर्ग	प्रतिभागियों की संख्या
भाई-बहनें (2)	50
समुदाय स्तर के कार्यकर्ता	27
अध्यापकगण	35
पुनर्वास व्यावसायिक (2)	43
अभिभावक (2)	88
विद्यार्थियों को अभिमुखीकरण कार्यक्रम	103
व्यावसायिकों को अभिमुखी कार्यक्रम	50
समुदाय स्तर कार्यकर्ताओं को अभिमुखी कार्यक्रम	45
नई अभिभावकों को अभिमुखी कार्यक्रम	18
कुल	459

माडल स्कूल के विद्यार्थियों ने निम्न कार्यक्रमों में भाग लिया:

- कला प्रतियोगिता, संगीत बैठक तथा रंगोली - वेरी स्पेशल आर्ट्स् आफ इंडिया (वी.एस.ए.आई.) द्वारा संचालित
- वाई.एम.सी.ए., दिल्ली द्वारा संचालित विशेष एथ्लेटिक बैठक
- साधु वास्वानी अंतर्राष्ट्रीय स्कूल दिल्ली द्वारा संचालित पेंटिंग तथा ड्राइंग प्रतियोगिता
- खेल व सांस्कृतिक उत्सव, लक्ष्मण पब्लिक स्कूल दिल्ली द्वारा संचालित
- नृत्य तथा चित्र लेखन प्रतियोगिता, बलवंत राज मेहता विद्या भवन, दिल्ली द्वारा संचालित
- अभिनन्दन कार्ड तैयार करना, सलाद तैयार करना आदि के अंतर स्कूल प्रतियोगिता - संकरा विशेष स्कूल, नोइडा द्वारा संचालित
- 8 अप्रैल, 2003 को माडल स्कूल के बच्चे अपने शिक्षकों के साथ अप्पू घर देखने गये थे। सितम्बर 2003 को नई दिल्ली में नए निर्मित "गार्डेन आफ फाइव सेन्सेस" को तथा दिसम्बर, 2003 को नेशनल साईन्सेस केन्द्र, प्रगति मैदान को, दो शैक्षिक दौरे किये गये।
- विशेष ओलम्पिक खेल - विशेष ओलम्पिक खेल जवहर लाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली में 23-27 फरवरी, 2004 को आयोजित किये गये और माडल स्कूल के 75 बच्चों ने इन खेलों में भाग लिये जिसका उद्घाटन नई दिल्ली के मुख्य मंत्री श्रीमति शीला दीक्षित द्वारा 23 फरवरी, 2004 को किया गया। माडल स्कूल के बच्चों ने 10 प्रतियोगिताओं में भाग लिया तथा 117 पदक प्राप्त किये (37 स्वर्ण, 36 रजत, और 44 कांस्य पदक)।
- राष्ट्रीय पुरस्कार 2003- दो पूर्व विद्यार्थी, श्री पवन कुमार तथा श्री मनीन्दर सिंह को उत्तम कर्मचारी के वर्ग (अतिरिक्त) में 3 दिसम्बर, 2003 को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार के रूप में रु.15,000/- का राशी तथा प्रमाण पत्र, दोनों को दिया गया।
- माडल स्कूल के कर्मचारी सदस्यों ने स्कूल के बाहर 9 अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों / कार्यशालाओं में भाग लिया (एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठि सहित)। इनमें से कुछ कर्मचारियों ने स्कूल के बाहर की कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्ति के रूप में अपने सेवाएँ प्रदान कीं।
- कर्मचारी विकास कार्यक्रम - आरंभ पैकेज (एन.आई.एम.एच.) तथा राष्ट्रीय न्यास पर माडल स्कूल द्वारा दो कर्मचारी विकास कार्यक्रम संचालित किये गये।

परामर्शी तथा तकनीकी समर्थन

9.1 राष्ट्रीय न्यास

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने देखभाल करने वालों के लिए वर्ष 2001-02 के दौरान मास्टर स्तर। के प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास किया और मास्टर स्तर-। के तीन कार्यक्रमों का आयोजन किया। मास्टर प्रशिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने - अपने संगठनों में दखभाल करने वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रारंभ करने की योजना बनाएँ और उनका संचालन करें। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के अलावा, प्रसंगाधीन 2003-04 वर्ष के दौरान, प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षकों को 15-16 सितम्बर, 2003 को एक और पाठ्यक्रम का संचालन किया गया जिसमें 14 राज्यों और 2 संघ क्षेत्रों से आये हुए 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान अभिभावकों, परिवार सदस्यों, व्यावसायिकों व पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत् अन्यों को सूचना पहुँचना जारी रखा। इसके अलावा, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा संचालित हर अल्पावधि पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय न्यास के कार्यकलापों पर एक व्याख्यान पाठ्यक्रम के एक अंश के रूप में शामिल किया गया। ऐसे गैर सरकारी संगठनों का निरीक्षण जिन्होंने राष्ट्रीय न्यास की पहुँच और राहत योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के स्टाफ द्वारा वित्तीस सहायता प्राप्त करने की विश्वसनीयता का आकलन करने का कार्य किया गया है। तकनीकी समर्थन की आवश्यकतावाले संगठनों को भी उनकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

9.2 भारतीय पुनर्वास परिषद्

विभिन्न पाठ्यक्रमों के विकास तथा मूल्यांकन के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् की बैठकों में संस्थान के कर्मचारी सदस्यों ने भाग लिया। हमारे कर्मचारियों ने भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता हेतु विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण किया।

9.3 भारत सरकार से सहायता - अनुदान प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के आवेदनों का तकनीकी मूल्यांकन

इस योजना के अंतर्गत, विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवई की प्रोन्नति हेतु, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, देश के गैर सरकारी संगठनों को अनुदान देता है। मंत्रालय के अनुरोध पर संस्थान ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के तकनीकी मूल्यांकन का कार्य अपने हाथों में लिया है। प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा 225 गैर सरकारी सगंठनों का तकनीकी मूल्यांकन किया और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। ओल्ड एज होम की योजना के अंतर्गत वरिष्ट नागरिकों के कल्याण हेतु कार्यरत् गैर सरकारी संगठनों का निरीक्षण राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा संचालन किया गया।

9.4 राष्ट्रीय विकलांग वित्तीयन और विकास निगम

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, आँध्र प्रदेश राज्य के हिताधिकारियों के एन.एच.एफ.डी.सी. आवेदनों के निपटान के लिए राज्य स्तरीय जाँच समिति का संघटक सदस्य है। एन.एच.एफ.डी.सी. योजनाओं के संबंध में 10 जनकों / हिताधिकारियों / गैर सरकारी संगठनों को मार्गदर्शन दिया गया और राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने योजनाओं को लोकप्रिय बनाने गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी मार्गदर्शन दिया और इसके अलावा एन.एच.एफ.डी.सी. के अनुरोध के अनुसार गैर सरकारी संगठनों के 15 निरीक्षण किये गये। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के निदेशक एन.एच.एफ.डी.सी. की सलाहकार समिति के सदस्य हैं, जिन्होंने उसकी बैठकों में उपस्थित रहकर अपना योगदान दिया।

9.5 विशेष रोजगार कक्ष

वर्ष 2003-2004 के दौरान, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में स्थापित विशेष रोजगार कक्ष में दो विकलांग व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चार उम्मीदवारों को रोजगार के लिए प्रवर्तित किया गया।

9.6 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के अंतर्गत अधिगम समस्या तथा मानसिक मंद प्राथमिक स्तर विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षा कक्षाएँ प्रदान की।

9.7 पल्स पोलियो टीका

राष्ट्रीय गहन पल्स पोलियो कार्यक्रम के भाग के रूप में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के स्टाफ ने अपने मुख्यालय में 0-5 वर्ष के बच्चों को टीके देने के लिए कार्यक्रम का संचालन किया जिसमें 1724 बच्चों को दवाई दी गई। यह कार्यक्रम डी.डी.आर.सी. को भी विस्तार किया गया।

प्रलेखीकरण और प्रचार

संस्थान मानसिक मंद के क्षेत्र और तत्संबंधी विषयों के क्षेत्रों से संबंधित पर्याप्त पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं से पूरी तरह लैस है। संस्थान जर्नल लेखों की छाया प्रतियों की आपूर्ति, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा प्रकाशित सामग्रियों, विडियो कैसेटों और फ्लापियों का वितरण, नेमीपुस्तकलाय सेवाओं, अध्ययन सूचियों व समाचार पत्रों के क्लिपिंगों और इंटरनेट द्वारा सूचना सेवाएँ प्रदान करता है।

संस्थान करावलम्बन त्रैमासिक समाचार पत्र, मेन्टार्ड नामक द्वैमासिक बुलेटिन का प्रकाशन करके बड़ी संख्या में मानसिक मंदन से संबंधित व्यावसायिकों, संगठनों, अभिभावकों व अन्यों को वितरण करता है। करावलम्बन समाचार पत्र मानसिक मंदन के क्षेत्र में कार्यरत् स्वैच्छिक संगठनों, अभिभावक संगठनों, माननीय सांसदों, विश्वविद्यालयों, राज्य कल्याण निदेशालयों तथा अन्य सरकारी विभागों को भेजा जाता है।

प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान, संस्थान ने अभिभावकों तथा व्यावसायिकों को अपने 5,609 प्रकाशनों का वितरण किया है। वर्ष के दौरान 24 चुनिंदा सामग्रियाँ प्रकाशित हुई, साथ में 140 समाचार पत्र क्लिपिंग जोडे गये और 6 मेंटार्ड बुलेटिन छापे गये। संस्थान के पुस्तकालय में आलोच्य वर्ष के दौरान 26,400 व्यक्तियों को पुस्तकालय सेवाओं का उपयोग किये और 6011 पुस्तकें जारी की गयीं। पुस्तकालय में मौजूदा पुस्तकों के अलावा 267 पुस्तकें जोडी गयीं और 73,894 पुस्तकों का संदर्भ के रूप में उपयोग किया गया। चालू वर्ष के दौरान 1000 ई.मेल जारी व प्राप्त किये गये।

10.1 जन जागरूकता

संस्थान ने पोस्टरों के मुद्रण, सूचना सामग्रियों के प्रकाशन, विकलांगताओं की पहचान करने मूल कार्यकर्ताओं के लिए फ्लिप चार्टों की तैयारी जैसे जनजागरूकता कार्यक्रमों के संचालन को जारी रखा है।

10.2 प्रदर्शनियाँ

एक्सेस 2003

विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरणों, शिक्षक सामग्रियों तथा गैर-विकलांगी पर्यावरण की प्रदर्शनी, हैदराबाद में 22-26 जुलाई, 2003 को लगाई गई जिसमें संस्थान के प्रकाशन तथा शिक्षण-सीखने सामग्रियों का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ.सत्यनारायण जटिया ने किया।

10.3 गणतंत्र दिवस समारोह

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने स्वयमकृषि के सहयोग से गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और मानसिक मंदन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए चित्र प्रदर्शन किया।

विस्तारण तथा आउटरीच कार्यक्रम

11.1 जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र

जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- ज़रूरतमंद व्यक्तियों की आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण और यंत्रों का निर्माण और संयोजन करना तथा ए.डी.आई.पी. योजना के जरिये उनका वितरण करना।
- विकलांग व्यक्तियों को सूचना सेवाएँ प्रदान करना
- विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में लगे कार्मिकों के लिए सेवाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना और सेवाओं के सी.बी.आर. मोड को प्रौन्नत करना है।

11.1.1 स्थीपित किये गये डी.डी.आर.सी.

स्थान	आरंभ महीना	राज्य सरकार को हस्तांतरित महीना
गुलबर्गा	जुलाई 2000	अक्तूबर 2003
वर्धा	जुलाई 2000	-
कोजीकोड	अगस्त 2000	दिसम्बर 2003
मदुरै	अगस्त 2000	अप्रैल 2004
तूतिकुडि	नवम्बर 2000	मई 2003
त्रिवेन्द्रम	जनवरी 2001	-
त्रिस्सूर	अगस्त 2001	जनवरी 2004
उज्जैन	दिसम्बर 2001	-
करीमनगर	जुलाई 2003	-
मान्ड्या	जुलाई 2003	-
दिवास	सितम्बर 2003	-
सतना	मार्च 2004	-

11.1.2 केन्द्रों में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

निम्न क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं का विस्तृत मूल्यांकन तथा आकलन किया जाता है।

- आर्थोटिक / प्रास्थेटिक साधनों का फैब्रिकेशन
- श्रवण मूल्यांकन और श्रवण साधन

- वाक्-भाषा सेवाएँ
- भौतिक चिकित्सा - विज्ञान
- व्यावसायिक चिकित्सीय सेवाएँ
- स्वास्थ्य सेवाएँ, विकलांगता प्रमाण पत्रों को जारी करना
- विशेष शिक्षा
- व्यावसायिक प्रशिक्षण
- परामर्शी सेवाएँ
- विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सुविधाओं की सूचना
- जहाँ कहीं आवश्यकक हो, रेफरल सेवाओं पर सूचना
- साधनों और उपकरणों का विनिर्माण, ट्रायल फिटमेंट, अंतिम फिटमेंट तथा प्रशिक्षण

11.1.3 वर्ष 2003-04 के दौरान सभी जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों में नए क्लाईंट तथा अनुवर्ती सेवाएँ और वर्ष के दौरान वितरित सहाय उपकरणों के विवरण सारणी - I में दर्शाया गया

सारीणी- I: वर्ष 2003-04 के दौरान नए क्लाईंट तथा अनुवर्ती सेवाएँ और वितरित सहायक उपकरणों के विवरण

वर्ग	नए क्लाईंट	अनुवर्ती क्लाईंट	ए.डी.आई.पी. योजना के अंतर्गत वितरित सहायक उपकरण
लोकोमोटार विकलांगता	17819	29890	3827
मानसिक मंदन	6853	22001	1602
श्रवण क्षति	8527	18938	7470
दृष्टि क्षति	4484	8442	645
अन्य	1610	12389	156
कुल	39293	91660	13700

सारणी - II : ए.डी.आई.पी.योजना पर खर्च के विवरण

1.	साधन व उपकरणों का वितरण	रु.
	क) लोकोमोटर विकलांगता	1,43,43,447-00
	ख) दृष्टि क्षति	10,68,451.00
	ग) श्रवण क्षति	71,93,163.00
	घ) मानसिक मंदन	3,16,340.00
		2,29,21,401.00
2.	शिविरों का आयोजन	1,63,68,796.00
	कुल (1+2)	3,92,90,197.00

11.1.4 वर्ष 2003-04 के दौरान डी.डी.आर.सी. में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम सारणी - III में दर्शाया गया है।

सारणी III : वर्ष 2003-04 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों के विवरण

कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	हिताधिकारियों की संख्या
आधारिक स्तर कार्यकर्ता, शिक्षकगण तथा अन्य	148	7273
अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	104	4479
विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष कार्यक्रम	76	5947
कुल	328	17699

11.2 शिविर

प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान, संस्थान द्वारा 41,425 विकलांग व्यक्तियों को आवरित करते हुए 303 शिविरों का संचालन किया गया। इन शिविरों में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र तथा जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों द्वारा संचालित शिविर शामिल हैं।

11.3 अंगनवाडी कार्यकर्ताओं के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम

वर्ष 2003-04 के दौरान 1,436 हिताधिकारियों को आवरित करते हुए अंगनवाडी कार्यकर्ताओं को विकलांग व्यक्तियों की पहचान करने में अभिमुखी करने और शिविरों में मूल्यांकन तथा निर्धारण हेतु संदर्भित करने के लिए अंगनवाडी कार्यकर्ताओं को 20 अभिमुखी कार्यक्रम संचालित किये गये।

संश्लिष्ट क्षेत्रीय केन्द्र

भोपाल

12.1 सी.आर.सी. के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :

- मानव संसाधन विकास
- पुनर्वास सेवाओं का समर्पण
- अनुसंधान एवं विकास
- प्रलेखीकरण एवं प्रचार
- अन्य संगठनों के साथ परामर्शी तथा नेटवर्क

फिलहाल यह केन्द्र चार तात्कालिक शेडों में अवस्थित है जिसमें तीन खेल क्षेत्र, अर्थात्, संवेदी पार्क, बच्चों का खेल पार्क तथा ग्रामीण वातावरण पार्क हैं। केन्द्र द्वारा निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं :

- विशेष शिक्षा मूल्यांकन (मानसिक मंदन)
- वैयक्तिकृत शिक्षा कार्यक्रम
- वर्ग चिकित्सा
- व्यावसायिक मूल्यांकन तथा मार्गदर्शन
- मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन
- व्यवहार परिवर्तन
- अभिभावकीय परामर्श
- विशेष शिक्षा तथा मोबिलिटि प्रशिक्षण का अभिमुखीकरण
- वाक् चिकित्सा तथा श्रवण मूल्यांकन
- व्यावसायिक चिकित्सा - विज्ञान, ए.डी.एल. प्रशिक्षण
- भौतिक चिकित्सा विज्ञान
- सहायक उपकरणों का वितरण

सारणी - VI वर्ष 2003-04 के दौरान सी.आर.सी. द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विवरण

वर्ग	कुल नये क्लाईंट	अनुवर्ती सेवाएँ
दृष्टि क्षति	991	490
श्रवण क्षति	1736	1844
मानसिक मंदन	932	2670
लोकोमोटर विकलांगता	4211	2702
कुल	7870	7706

सारणी - VII सी.आर.सी. द्वारा वर्ष 2003-04 के दौरान संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्षित वर्ग	प्रतिभागियों की संख्या
स्वैच्छिक संगठन	38
अंगनवाडी कार्यकर्ता	45
स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा सुपरवाईजर	21
लॉ विद्यार्थी	21
अभिभावक	107
व्यावसायिक	6
जिला प्रशासन कार्मिक	160

प्रशासन

13.1 स्टाफ की संख्या और आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालय, कार्मिक, जन शिकायतें तथा पेंशन विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96-स्थापन (रेस) दिनांक 02.07.1997 में निहित, पद आधारित रोस्टर को अंगीकार करके पालन किया गया।

31 मार्च, 2004 को स्थित पदों की कुल संख्या और किये गये आरक्षण नीचे दिये हैं:

एन.आई.एम.एच. तथा क्षेत्रीय केन्द्र			भरे गये पदों की संख्या		
समूह	स्वीकृत संख्या	कुल	अ.जा.(%)	अ.ज.ज.(%)	अ.पि.व. (%)
क	26	23	5(21.7)	1(4.340)	3(13.04)
ख	10	10	0	1(10)	0
ग	57	52	12(23.07)	5(9.61)	5(9.61)
घ	14	14	9(64.28)	1(7.14)	0
कुल	107	99	26(26.26)	8(8.08)	8(8.08)
एम.एस.एम.डी.सी.,					
क	1	1	0	0	0
ख	1	1	0	0	0
ग	22	21	4(19.04)	1(4.76)	1(4.76)
घ	9	6	5(83.33)		0
कुल	33	29	9(31.03)	1(4.76)	1(4.76)

13.2 राजभाषा अधिनियम का कार्यान्वयन

संस्थान ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा संघ के सरकारी कामकाज के लिए वर्ष 2003-04 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर प्रयास किया।

राजभाषा अधिनियम के धारा 3(3) के अनुसार सभी आवश्यक कागजातों का हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनो भाषाओं में जारी की गई और हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिन्दी में दिया गया। संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं के सभी प्रश्नपत्र द्विभाषी रूप में तैयार किये गये तथा परीक्षार्थियों को उत्तर हिन्दी में भी लिखने का विकल्प दिया गया।

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को प्रोन्नति देने के लिए, हिन्दी पखवाडा 1 से 14 सितम्बर, 2003 तक मनाया गया। इस पखवाडे के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्देशित अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे, निबंध लेखन, कविता लेखन, नारे लेखन, अनुवाद, हिन्दी श्रुतलेख, आदि का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 15 सितम्बर, 2003 को आयोजित हिन्दी दिवस समारोह के दौरान पुरस्कार प्रदान किये गये। सरकारी कामकाज में 10,000 से अधिक हिन्दी शब्द लिखने के लिए भारत सरकार के नियमानुसार एक कर्मचारी सदस्य को नकद पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के समाचार पत्र में हिन्दी लेख भी शामिल किये गये।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली से राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में अच्छे निष्पादन के लिए सराहना पत्र प्राप्त हुई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के उपनिदेशक (राजभाषा) ने 4-6 नवम्बर, 2003 के दौरान संस्थान में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन की निरीक्षण हेतु संस्थान का दौरा किया।

प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति के चार बैठकें 24 जून, 2003, 30 सितम्बर, 2003, 23 दिसम्बर, 2003 तथा 28 मार्च, 2003 को सम्पन्न हुई।

13.3 भवनों का निर्माण

एम.एस.एम.डी.सी. के लिए नोइडा, सेक्टर-40 में स्थायी भवन निर्मित करने का प्रस्ताव रखा गया था। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई डिजाइनें सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित की गई हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जल्द ही निर्माण कार्य शुरु किया जाएगा।

सी.आर.सी., भोपाल के लिए नये भवनों का निर्माण कार्य कजुरिका रोड, एस.ओ.एस.गाँव के पास, भोपाल में शुरु कर दिया गया है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा भलनों के निर्माण पूरा हो गया है। भवन सितम्बर 2004 में लिया जाएगा।

अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान और राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के कोलकता स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों के चरण-II के संयुक्त भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही भवन हस्तगत किया जाएगा।

13.4 सतर्कता एकक के कार्यकलाप व उपलब्धियाँ

प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान मुद्रण, सुरक्षा, बागबानी और साफ - सफाई और गाडियों के मरम्मत तथा दवाइयों की खरीदी के लिए दर ठेके जारी हैं। सभी विभागों तथा क्षेत्रीय केन्द्रों का एम.एस.एम.डी. सी. सहित स्टाक की जाँच का कार्य मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए पूरा कर दिया गया है। सतर्कता मामलों की त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक रिपोर्ट तथा विवरणीयाँ, भारत सरकार के निदेशानुसार विभिन्न सतर्कता प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं।

13.5 परिषद् की बैठकें

कार्यकारिणी परिषद् की चार बैठकें क्रमश: 21.4.2003, 22.7.2003, 13.11.2003 तथा 24.2.2004 को संपन्न हुई।

महा परिषद् की वार्षक बैठक 27.10.2003 को सम्पन्न हुई। वर्ष 2002-03 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा वर्ष 2002-03 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा 2004-05 के वार्षिक योजना तथा बजट अनुमानों को सामान्य परिषद् द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

एथिक्स समिति की बैठक 16.7.2003 को सम्पन्न हुई और संस्थान द्वारा हाथ में लिए गये परियोजनाओं को एथिक्स की दृष्टि से मंजूरी दी गई।

शैक्षिक समिति की बैठक 13 अक्तूबर, 2003 को सम्पन्न हुई। समिति ने चालू परियोजनाओं का समीक्षा की तथा प्रस्तावित नई परियोजनाओं को अनुमोदन दी।

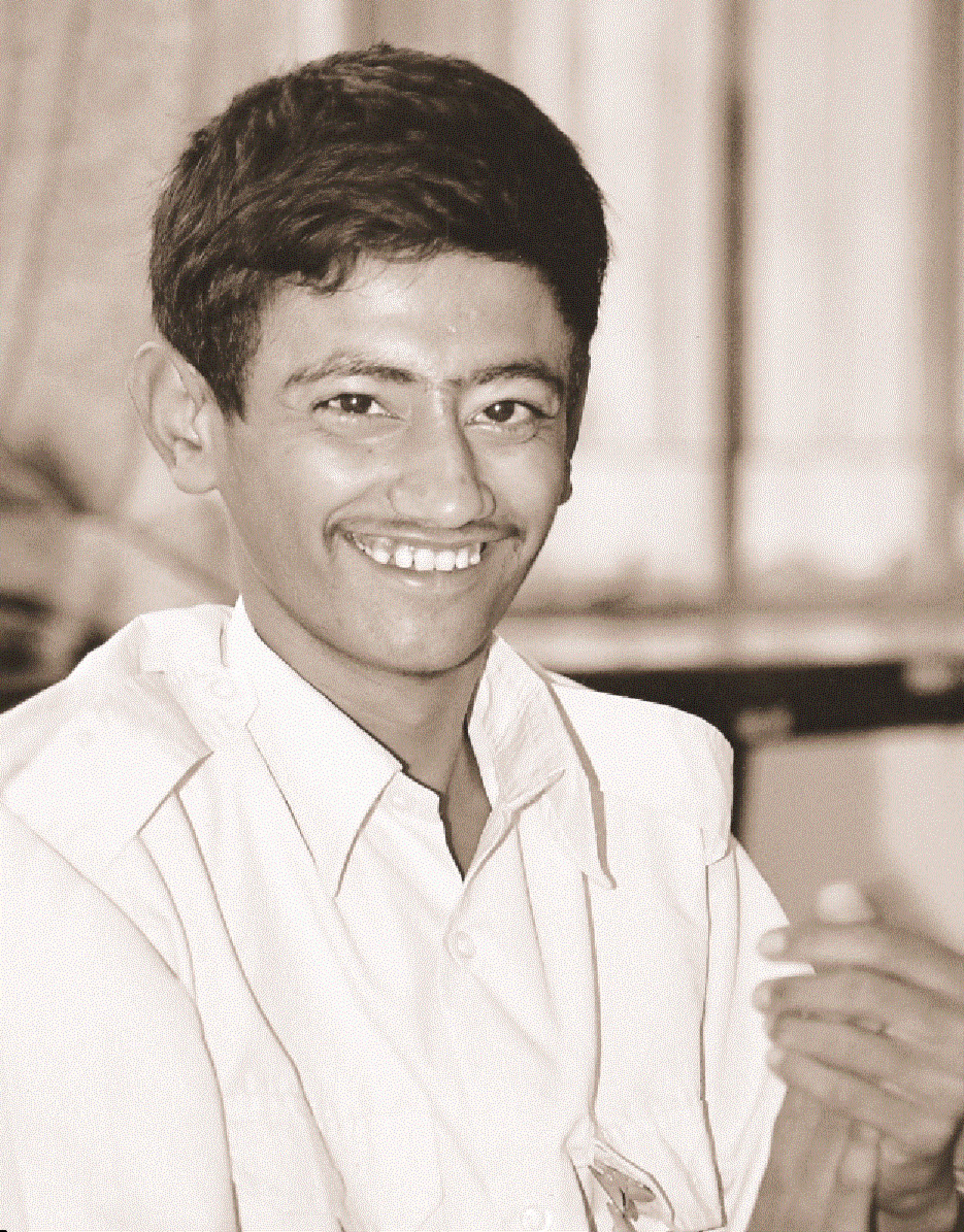

वार्षिक लेखें तथा वर्ष 2003-2004 के लिए लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान संस्थान ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से 1305.50 लाख रुपयों का अनुदान के रूप में प्राप्त की। संस्थान के खाते में आदि शेष के रूप में 80.50 लाख रुपयों की राशी थी और उसने आंतरिक स्त्रोतों के जरिये 56.50 लाख रुपयों की राशी जनित करके अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से 255.82 लाख रुपयों की राशी प्राप्त की। प्राप्तियों के रूप में इन तमाम राशी 1698.31 लाख रुपयों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बचत खाते के रूप में संस्थान के खाते में जमा किया गया।

प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान योजना कार्यक्रमों और कार्यकलापों पर 1698.31 लाख रुपयों की राशी में से 1517.85 लाख रुपयें खर्च की गई।

वर्ष 2003-04 के लिए प्राप्तियाँ और भुगतानों का लेखा वर्ष 2003-04 के लिए आय तथा व्यय का लेखा और 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र सहित अनुसूची 1-25 के साथ इस वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में संलग्न है।

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद के 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्ति और भुगतान लेखा एवं आय और व्यय लेखा तथा दिनांक 31 मार्च, 2004 के तुलन पत्र की जाँच कर ली है। मैने सभी अपेक्षित सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं और संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अध्ययन अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप, मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में और सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिये गये स्पष्टीकरणों और संगठन की बहयों में किये गये उल्लेख के अनुसार ये लेखें और तुलन पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किये गये हैं और राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद के कार्यकलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत की है।

(ह/-)
(सी.वी.अवधानी)
प्रधान महालेखाकार
आँध्रप्रदेश

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 4.11.2004

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद के वर्ष 2003-04 के लिए लेखों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. भूमिका

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद की, पंजीकृत सोसाइटी के रूप में वर्ष 1984 में स्थापना की गई थी। संगठन के मुम्बई, कोलकता और नई दिल्ली में तीन क्षेत्रीय केन्द्र हैं तथा नई दिल्ली में माडल स्कूल फार दि मेंटली डिफीसियेन्ट चिल्ड्रन स्थित है।

1.1 संस्थान के लक्ष्य और उद्देश्य हैं :

i) मानसिक विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा तथा पुनर्वास के सभी पहलुओं पर अनुसंधान, प्रवर्तित करना, समन्वय या आर्थिक सहायता देना

ii) प्रवर्तित, समन्वय या अनुसंधान को बायो मेडिकल इंजीनीयरिंग में सहायक उपकरणों को प्रभावी रूप से तब्दील करने का मूल्यांकन करना या नये सहायक उपकरणों का उचित शल्य चिकित्सीय या स्वास्थ्य पद्धतियों के लिए विकास करना

iii) प्रशिक्षार्थियों और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना या प्रवर्तित करना, अधिकारियों, मनोरोग चिकित्सकों, व्यावसायिक परामर्शदाताओं और ऐसे अन्य कार्मिकों को जो संस्थान में मानसिक विकलांगों की शिक्षा, प्रशिक्षण या पुनर्वास के लिए आवश्यक समझे जाएँ, की नियुक्ति करना

iv) मानसिक विकलांग व्यक्तियों के चिकित्साशास्त्रीय शिक्षा, पुनर्वास के किसी भी पहलू को प्रोन्नति के लिए तमाम सहायक उपकरणों की अभिकल्पना करके उनके प्रोटोटाईपों का निर्माण कर या उनके निर्माण में आर्थिक सहायता प्रदान कर और उन्हीं या तमाम उपकरणों का वितरण करना है।

1.2 संगठन के लेखों की लेखा परीक्षा करने की जिम्मेदारी वर्ष 1999-2000 से 2003-04 तक पाँच वर्षों के लिए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सेवा अधिनियम, 1971 की ड्यूटियाँ, शक्तियाँ और परिस्थितियाँ) की धारा 20(1) के अंतर्गत, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को सौंपी गई है।

1.3 वित्तीय स्थिति

वर्ष 2003-04 के दौरान संस्थान ने सहायता अनुदान के रूप में 1593.50 लाख रुपयों की राशी (776.00 लाख रुपयों की योजना के अंतर्गत तथा 239.00 लाख रूपयों की राशी गैर योजना के अंतर्गत, ए.डी.आई.पी. योजना के अंतर्गत 398.40 लाख रूपये तथा डी.डी.आर.सी की स्थापना के लिए 84.87 लाख रुपयों की राशी) भारत सरकार से प्राप्त की तथा ए.वाई.जे. एन्.आई.एच.एच. से 82.56 लाख रूपये, 12.45 लाख रूपये इन्डो यु.एस.एस.एन्ड टी फोरम से तथा 0.23 लाख रूपये डबल्यु.एच.ओ. से प्राप्त की।

2. लेखों पर टिप्पणी / लेखों का संशोधन

संस्थान ने लेखा परीक्षा के समय लेखा परीक्षा की टीका - टिप्पणियों के प्रकाश में अपने लेखों में संशोधन किया। संशोधन का प्रभाव, आय तथा व्यय खाते में व्यय पर अधिकतम आय 162.29 लाख रूपयों को बढ़ाया गया।

3. सामान्य

i) संस्थान भारत सरकार से प्राप्त 56.00 लाख रूपयों का मध्यप्रदेश राज्य सरकार के कार्यक्रम जो क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर में कार्यान्वित करना था, के लिए आंतरण किया। संस्थान द्वारा यह सूचित किया गया कि आर.आर.सी., जबलपुर द्वारा वर्ष 2003-04 के लिए लेखा परीक्षित लेखें प्राप्त नहीं हुई। संस्थान यह भी सूचित किया कि आर.आर.सी., जबलपुर के लेखें रखने में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

ii) यह सूचित किया गया कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए आस्तियों का भौतिकीय जाँच की जा रही है। अत: लेखों में लेखा परीक्षा के दौरान आस्तियों के सही विवरण या कुछ ऐसी विषय पर सुनिश्चित नहीं कर पाए।

iii) संस्थान में कोई आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं है।

ह/-
(सी.वी.अवधानी)
प्रधान महालेखाकार
आँध्रप्रदेश

वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2004 तक तुलन पत्र

(राशी रुपयों में)

कार्पस / मूल निधि तथा दायित्व	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
कार्पस / मूल निधि	1	271818762	222361631
रिजर्व तथ सरप्लस	2	0	0
चिह्नित / धर्मदाय निधि	3	0	0
हस्तगत ऋण तथा उधार	4	0	0
अहस्तगत ऋण तथा उधार	5	0	0
आस्थगित क्रेडिट दायित्व	6	0	0
वर्तमान दायित्व तथा प्रावधान	7	4314997	2602074
कुल		276133759	224963705
आस्तियाँ	8	226734192	195650489
स्तिर आस्तियाँ	9	0	0
चिह्नित / धर्मदाय निधियों में से निवेश	10	0	0
अन्य निवेश	11	49399567	29313216
वर्तमान आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि			
विविध खर्च (रद्द नहीं की गई या समायोजन नहीं की गई को छोड कर)			
कुल		276133759	224963705
मुख्य लेखा नीति	24		
सांयोगिक दायित्व तथा लेखों पर टिप्पणी	25		

ह/-
लेखा अधिकारी

ह/-
उपनिदेशक (प्र)

ह/-
निदेशक

वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2004 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय खाता

(राशी रुपयों में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
बिक्री / सेवाओं से आय	12	0	0
अनुदान / सब्सीडी	13	159350080	117773988
शुल्क / अंशदान	14	3746040	2881434
निवेश से आय (चिह्नित / धर्मदाय को आंतरित निधियों में निवेश से आय)	15	0	0
प्रकाशनों आदी की रायल्टी से आय	16	726993	507892
अर्जित ब्याज	17	64401	32012
अन्य आय	18	798980	835051
अंतिम वस्तुओं के भंडार तथा हो रही कार्य से बढ़ावा / घटाव	19	0	0
कुल (क)		164686494	122030377
व्यय			
कार्यक्रम / सेवाओ पर व्यय	20	30808775	
उत्तर पूर्वी राज्य		8083779	
ए.डी.आई.पी. योजना		34992631	
स्थापना व्यय	20A	21843900	22366941
अन्य प्रशासनिक व्यय, आदि	21	11606782	85798818
अनुदान, सब्सीडी आदि पर व्यय	22	0	0
ब्याज	23	0	0
घटाव (अनुसूची 8 से सबंधित वर्ष के अत तक की शेष योग)		7893496	1814738
कुल (ख)		115229363	109980497
व्यय पर अधिकतम आय का शेष			
विशेष रिजर्व को आंतरण (प्रत्येक का स्पष्ट करे)			
सामान्य रिजर्व को / से आंतरण			
सरप्लस / (डिफिसिट) के रूप में शेष		49457131	12049880
कार्पस / मूल निधि को ली गई			
मुख्य लेखा नीति	24		
सांयोगिक दायित्व तथा लेखों पर टिप्पणी	25		

ह/-
लेखा अधिकारी

ह/-
उपनिदेशक (प्र)

ह/-
निदेशक

अनुबंध
(आय तथा व्यय खाता)

ए.डी.आई.पी. योजना		
1. साधन व उपस्करों का वितरण		
क) आर्थोपेडिक विकलांगता	14343447	
ख) दृष्टि विकलांगता	1068451	
ग) श्रवण विकलांगता	7193163	
घ) मानसिक विकलांगता	316340	22921401
2. शिविरों का संचालन		12071230
		34992631

ह/-
लेखाधिकारी,
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2004 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(राशी रुपयों में)

अनुसूची - 1 - कार्पस / मूल निधि	वर्तमान वर्ष		गत वर्ष	
वर्ष के आरंभ तक की शेष		222361631		190049141
जोडें: कार्पस / मूल निधि को अंशदान		39523992		13388446
जोडें / (घटाएँ) : नेट आय / (खर्च) का शेष का आंतरण (जोड) आय तथा व्यय खाते से		9933139		18924044
शेष :- वर्ष के अंत तक		271818762		222361631

अनुसूची 2 - रिजर्व तथा सरप्लस	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1. मूल रिजर्व पिछली खाते के अनुसार वर्ष के दौरान जोडे घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	0	0
2. रीवैल्युयेशन रिजर्व पिछली खाते के अनुसार वर्ष के दौरान जोडे घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	0	0
3. विशेष रिजर्व पिछली खाते के अनुसार वर्ष के दौरान जोडे घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	0	0
4. सामान्य रिजर्व पिछली खाते के अनुसार वर्ष के दौरान जोडे घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	0	0
कुल	शून्य शून्य	शून्य शून्य

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2004 तक की तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(राशी रुपयों में)

अनुसूची 3 - चिह्नित / धर्मदाय निधि	निधिवार विवरण				कुल	
	निधि ww	निधि xx	निधि yy	निधि zz	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क) निधियों के आदिशेष					0	0
ख) निधियों को संकलित					0	0
i) दान / अनुदान					0	0
ii) निधियों के खाते में निवेश से आय					0	0
iii) अन्य संकलन (प्रकृति स्पष्ट करें)					0	0
कुल (क + ख)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) निधियों के उद्देश्य के लिए उपयोगिता / व्यय					0	0
1. मूल व्यय					0	0
- स्थिर आस्तियाँ					0	0
- अन्य					0	0
कुल					0	0
ii) रेवेन्यु व्यय					0	0
- वेतन, मजदूरी व भत्ता, आदि					0	0
- किराया					0	0
- अन्य प्रशासनिक व्यय					0	0
कुल					0	0
कुल (ग)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नेट शेष वर्ष के अंत तक (क+ख-ग)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी

1. अनुदान को संलग्न की गई नियमों के आधार पर संबंधित शीर्षों पर प्रकटीकरण करें
2. केन्द्र / राज्य सरकार से प्राप्त प्लैन निधियों को अलग निधियों के रूप में दर्शाएँ और वह अन्य निधियों से न जोडें।

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2004 तक की तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(राशी रुपयों में)

अनूसूची 4 - हस्तगत ऋण तथा उधार	वर्तमान वर्ष		गत वर्ष	
1. केन्द्र सरकार			0	0
2. राज्य सरकार (विशेष उल्लेख करें)			0	0
3. वित्तीय संस्थान			0	0
क) अवधि ऋण			0	0
ख) जमा की गई या देय ब्याज			0	0
4. बैंक			0	0
क) अवधि ऋण			0	0
- जमा की गई या देय ब्याज			0	0
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)			0	0
- जमा की गई या देय ब्याज			0	0
5. अन्य संगठन तथा संस्थान			0	0
6. डिबेन्चर तथा बांड			0	0
7. अन्य (उल्लेख करें)			0	0
कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नोट: एक वर्ष के अंदर की देय राशियाँ				

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2004 तक की तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(राशी रुपयों में)

अनूसूची 5 - अहस्तगत ऋण तथा उधार	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्र सरकार		0
2. राज्य सरकार (विशेष उल्लेख करें)		0
3. वित्तीय संस्थान		0
4. बैंक		0
क) अवधि ऋण		0
ख)अन्य ऋण (उल्लेख करें)		0
5. अन्य संगठन तथा संस्थान		0
6. डिबेन्चर तथा बांड		0
7. स्थिर जमा		0
8. अन्य (उल्लेख करें)		0
कुल	शून्य	शून्य
नोट: एक वर्ष के अंदर की देय राशियाँ		

अनुसूची 6 - आस्थगित क्रेडिट दायित्व	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क) मूल उपस्कर तथा अन्य आस्तियों के हायपोथिकेशन के जरिये स्वीकृतियाँ		0
ख) अन्य		0
कुल	शून्य	शून्य
नोट: वर्ष के अंदर देय राशियाँ		

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2004 तक की तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(राशी रुपयों में)

अनूसूची 7 - वर्तमान दायित्व तथा प्रावधान	वर्तमान वर्ष		गत वर्ष	
क) वर्तमान दायित्व				
1. स्वीकृतियाँ				
2. संड्री क्रेडिटर्स				
क) वस्तुओं के लिए	4314997	4314997	2602074	2602074
ख) अन्य				
3. प्राप्त अग्रिम				
4. जमा की गई लेकिन देय नहीं ब्याज				
क) हस्तगत ऋण / उधार				
ख) अहस्तगत ऋण / उधार				
5. सांविधिक दायित्व:				
क) अतिरिक्तदेय				
ख) अन्य				
6. अन्य वर्तमान दायित्व				
कुल (क)	4314997	4314997	2602074	2602074
ख) प्रावधान				
1. टैक्सेशन के लिए	0	0	0	0
2. ग्रैचुइटी	0	0	0	0
3. सूपर एन्युयेशन / पेंशन	0	0	0	0
4. जमा की गई छुट्टी की नकद पाना	0	0	0	0
5. व्यापार वारंटी / दावा	0	0	0	0
6. अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0
कुल (ख)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग (क+ख)	4314997	4314997	2602074	2602074

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

अनुबंध
(अनुसूची 7)

क) वर्ष 2003-04 के लिए संड्री क्रेडिटर्स

क्र.	विवरण	आदि शेष 2003-04	वर्ष के दौरान भुगतान	वर्ष के दौरान शेष	वर्ष के दौरान जोड	शेष
1.	मनोरंजन क्लब	20555	0	20555	4820	25375
2.	स्कालरशिप	2900	2900	0	0	0
3.	ई.एम.डी.	218850	69000	149850	50000	199850
4.	लेखा परीक्षा शुल्क	85000	58260	26740	36345	63085
5.	सुरक्षा जमा	371083	255127	115956	271686	387642
6.	जी.एस.एल.आई.सी.	97812	305045	207233	256535	49302
7.	एड.सिल	1069384	1069384	0	0	0
8.	जागरूकता निर्माण	50000	50000	0	0	0
9.	एन.पी.सी.	220500	0	220500	0	220500
10	सुरक्षा सेवाएँ	133340	133340	0	90773	90773
11	सैनिटेशन व सफाई	114479	114479	0	69722	69722
12	प्लम्बिंग	56811	56811	0	55217	55217
13	मरम्मत व रखरखावा	161360	0	161360	0	161360
14	पोस्टेज	0	0	0	12763	12763
15	श्री रमणा प्रोसेस (मुद्रण)	0	0	0	2979408	2979408
	कुल	2602074	2114346	487728	3827269	4314997

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2004 तक की तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 8 - स्थिर आस्तियाँ (राशी रुपयों में)

विवरण	ग्रास ब्लाक						ह्रस				नेट ब्लाक	
	आदि शेष											
	1.4.99 से पूर्व	1.4.99 के पश्चात्	1.4.2003 तक कुल	2003-04 में जोड	2003-04 में निकाले गये	31.3.2004 तक	%	31.3.2003 को	2003-04 के लिए	कुल	वर्तमान वर्ष के अंत तक नेट	पूर्व वर्ष के अंत तक
क) स्थिर आस्तियाँ												
1. भूमि												
क) फ्रीहोल्ड	959520		959520	1927300		2886820	0		0	0	2886820	18408395
ख) लीज होल्ड	0	17448875	17448875	2767035		20215910	0		0	0	20215910	
2. भवन			0									
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	59138694	604543	59743237			59743237	2	22153	12091	34244	59708993	59721084
ख) लीज होल्ड भूमि पर			0	45599120		45599120	2		5471892	5471892	40127228	
ग) ओनरशिप फ्लैट / प्रेमिसेस			0			0			0	0	0	
घ) भूमि जो संगठन के नहीं है,			0			0			0	0	0	
पर सूपरस्ट्रक्चर			0			0			0	0	0	
च) वुडन पार्टीशन	213945		213945		213945	0			0	0	0	213945
3. प्लैंट, मशीनरी व उपकरण	13766729	2564270	16330999	1557579	189206	17699372	10	572757	412185	984942	16714430	17035745
4. कार्यालय उपकरण			0	14850		14850	10		1485	1485	13365	
5. बिजली स्थापन			0	298881		298881	10		29888	29888	268993	
6. ट्यूबवेल व पानी आपूर्ती			0	256633		256633	10		25663	25663	230970	
7. कम्पयुटर / पेरीफेरल	0	2201880	2201880	721588		2923468	20	924377	584694	1509071	1414397	
8. वाहन	2630866	1363528	3994394	0	468236	3526158	15	524080	204529	728609	2797549	3098078
9. फर्नीचर / फिक्स्चर	5790045	855698	6645743	460696		7106439	10	185192	131639	316831	6789608	6460551
10. पुस्तकालय के पुस्तकें	5701607	2425049	8126656	1019430	47642	9098444	100	2425049	1019430	3444479	5653965	5701607
11. अन्य स्थिर आस्तियाँ	4971084	115000	5086084			5086084	100	115000	0	115000	4971084	4971084
वर्तमान वर्ष में कुल	93172490	27578843	120751333	54623112	919029	174455416		4768608	7893496	12662104	161793312	115610489
गत वर्ष											0	
ख) पूँजी कार्य प्रगति	61040000	19000000		30500000	45599120	64940880					64940880	80040000
कुल											226734192	195650489

(हायर पर्चेस के आधार पर उपरोक्त में सम्मलित आस्तियों की दरों पर नोट दें)

क) 31 मार्च, 2003 तक की स्थिर आस्तियाँ रु.1,84,08,395/- का नेट ब्लाक वैसे ही दर्शाया गया, जैसा कि 31.3.2003 तक की समाप्त तुलन पत्र में दिखाया गया। परन्तु, वह 31.3.2004 को अलग दर्शाया गया जैसा कि संशोधित फार्मैट के अनुसार विवरण शीर्षों के अनुसार दिया गया।

ख) लेखा नीति के अनुसार 1.4.1999 के बाद की आस्तियों पर ह्रास दिया गया।

ग) रु.1,70,35,745/- (नेट ब्लाक) का उपस्कर 31.3.2003 तक दर्शाई गई है जिसमें कार्यालय सामग्री, बिजली इन्स्टलेशन, आदि भी शामिल हैं। परन्तु 1.4.2003 से नई फार्मैट के अनुसार कार्यालय सामग्री, बिजली इन्स्टलेशन, ट्यूब वेल तथा पानी अपूर्ती योजनाओं का अलग-अलग दर्शाया गया।

घ) रु.5,97,21,084/- का भवन में ट्यूब वेल तथा पानी अपूर्ती योजना भी शामिल हैं जिसे अलग से नहीं दिखा सकें।

च) पुस्तकलाय के पुस्तकें रु.56,53,965/- में 1.4.1999 के पहले खरीदी गई पुस्तकें भी शामिल हैं। लेखा नीति के अनुसार इन पर कोई ह्रास नहीं दिया गया।

ह/-
लेखाधिकारी,
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2004 तक की तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(राशी रुपयों में)

अनुसूची 9 - चिह्नित /धर्मदाय निधियों में निवेश	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी सेक्युरिटी में		
2. अन्य अनुमोदित सेक्युरिटी में		
3. शेयर		
4. डिबेंचर तथा बॉंड		
5. सबसिडरीस तथा जॉइन्ट वेन्चर्स		
6. अन्य (विवरण दें)		
कुल	शून्य	शून्य

अनुसूची 10 - निवेश - अन्य	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी सेक्युरिटी		
2. अन्य अनुमोदित सेक्युरिटी में		
3. शेयर		
4. डिबेंचर तथा बॉंड		
5. सबसिडरीस तथा जॉइन्ट वेन्चर्स		
6. अन्य (विवरण दें)		
कुल	शून्य	शून्य

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2004 तक की तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(राशी रुपयों में)

अनुसूची 11 - वर्तमान आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि	वर्तमान वर्ष		गत वर्ष	
क) वर्तामान आस्तियाँ				
1. वस्तु सूची				
क) स्टोर्स तथा स्पेयर्स				
ख) लूज टूल्स				
ग) स्टाक इन ट्रेड				
पूर्ण की गई वस्तुएँ				
कार्य हो रही				
मूल सामग्री				
2. संड्री डेटर्स				
क) छः महीने से अधिक अवधि तक बकाया ऋण				
ख) अन्य				
3. हाथ में शेष रोकड (चेक / ड्राफ्ट तथा इम्प्रेस्ट सहित)	44500	44500	42342	42342
4. बैंक शेष				
क) अनुसूची बैंकों में				
- वर्तमान खाते पर	9615601	9615601		
- जमा खाते पर (मार्जिन राशी सहित)	26488	26488		
- बचत खाते पर	8014649	8014649	7666607	7666607
ख) अननुसूची बैंकों में				
- वर्तमान खाते पर				
- जमा खाते पर (मार्जिन राशी सहित)				
- बचत खाते पर				
5. डाक घर - बचत खाते	344967	344967	341562	341562
कुल (क)	18046205	18046205	8050511	8050511

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2004 तक की तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(राशी रुपयों में)

अनुसूची 11 - वर्तमान आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि (जारी..)	वर्तमान वर्ष		गत वर्ष	
ख) ऋण, अग्रिम व अन्य आस्तियाँ				
1. ऋण:				
क) कर्मचारी	9787795	9787795	10434300	10434300
ख) इस संगठन के समान उद्देश्य / क्रियाकलापों में नियुक्त अन्य संगठन				
ग) अन्य (उल्लेख करें)				
2. अग्रिम तथा अन्य राशी जिनका नकद या अन्य रूप में उस मूल्य का वसूली की जा सकती है।				
क) पूँजी खाते पर	6369477	6369477	6422315	6422315
ख) पूर्व भुगतान	96090	96090	96090	96090
ग) अन्य				
3. जमा की गई आय				
क) चिह्नित / धर्मदाय निधियों पर निवेश				
ख) निवेश - अन्य				
ग) ऋण व अग्रिम पर				
घ) अन्य	15100000	15100000	4310000	4310000
(अप्राप्य आय रु.... भी शामिल है)				
4. प्राप्त होने वाले दावें				
कुल (ख)	31353362	31353362	21262705	21262705
कुल (क) + (ख)	49399567	49399567	29313216	29313216

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

अनुसूची 11 को अनुबंध

क्र.	विवरण	आदिशेष 2003-04	ऋण / वसूली वर्ष 2003-04	वर्ष 2003-04 के दौरान कुल	वर्ष 2003-04 के दौरान ऋण / भुगतान	वर्ष 2003-04 के दौरान शेष
1,	गृह निर्माण अग्रिम	7630185	690348	6939837	168125	7107962
2.	परिवहन अग्रिम	2240769	533144	1707625	486000	2193625
3.	कम्प्युटर अग्रिम	470683	172400	298283	80000	378283
4.	त्यौहार अग्रिम तथा फैन अग्रिम	92663	58238	34425	73500	107925
5.	ऋण व वसूली	689477	0	689477	0	689477
6.	डी.डी.आर.सी.	4819061	4819061	0	5180000	5180000
7.	यु.एस.आई.एफ.	500000	0	500000	0	500000
8.	भारतीय पुनर्वास परिषद् - मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम	135422	135422	0	0	0
9.	ए.वाई.जे.एन.आई.एच.एच., मुम्बई (एड.सिल.)	278355	278355	0		0
	कुल	16856615	6686968	10169647	5987625	16157272

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2004 तक की तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(राशी रुपयों में)

अनुसूची 12 - बिक्री / सेवाओं से आय	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1) बिक्री से आय		
क) अंतिम वस्तुओं की बिक्री		
ख) मूल सामग्री की बिक्री		
ग) स्क्रैप की बिक्री		
2) सेवाओं से आय		
क) श्रमिक तथा प्रक्रिया के खर्च		
ख) व्यावसायिक / परामर्शी सेवाएँ		
ग) संगठन कमीशन तथा ब्रोकरेज		
घ) रखरखावा सेवाएँ (उपस्कर / संपत्ति)		
च) अन्य (उल्लेख करें)		
कुल	शून्य	शून्य

अनुसूची 13 - अनुदान / सबसिडी	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
(अटल अनुदान तथा सब्सिडीज प्राप्त)		
1. केन्द्र सरकार	101500000	81410000
2. राज्य सरकार		
3. सरकारी संगठन		
4. संस्थान / कल्याण विभाग		
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6. अन्य (उल्लेख करें)	57850080	36363988
कुल	159350080	117773988

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

अनुबंध
(अनुसूची - 13)

अनुदान / सब्सिडी			
1) केन्द्र सरकार			
1.	3-1/2003-एन.आई.-आई. दि. 24.6.2003	42500000	
2.	3-1/2003-एन.आई.-आई.,दि.24.6.2003		12000000
3.	3-1/2003-एन.आई.-आई.,दि.12.2.2004	20000000	
4.	3-1/2003-एन.आई.-आई.,दि.12.2.2004		11900000
5.	3-1/2003-एन.आई.-आई.,दि.31.3.2004 (जमा की गई परन्तु प्राप्त नहीं हुई आय)	15100000	
	कुल	77600000	23900000
	कुल योग		101500000
6) अन्य (उल्लेख करें)			
1.	कोलकता में संयुक्त भवनों का निर्माण के लिए ए.वाई.जे.एन.आई.एच.एच., से प्राप्तियाँ		8256000
2.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली से नए डी.डी.आर.सी. की स्थापना के लिए अनुदान		8486880
3.	विश्व स्वास्थ्य संगठन, नई दिल्ली से परियोजना चलाने के लिए अनुदान		22500
4.	आटीजम स्पेक्ट्रम अव्यवस्थाओं पर कार्यशाला का संचालन के लिए इन्डो-यु.एस.एस.एन्ड टी फोरम से प्राप्त अनुदान		1244700
5.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली से ए.डी.आई.पी. योजना के अंतर्गत अनुदान		39840000
	कुल		57850080

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2004 तक की तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(राशी रुपयों में)

अनुसूची 14- शुल्क /अंशदान	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1) संबंद्धित शुल्क	612100	976324
2) पाठ्यक्रम शुल्क (डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, तथा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम)	3133940	1729478
3) प्रवेश शुल्क		
4) वार्षिक शुल्क / अंशदान		
5) संगोष्ठि / कार्यक्रम शुल्क		
6) परामर्शी शुल्क		
7) अन्य (उल्लेख करें)		175632
कुल	3746040	2881434
नोट प्रत्येक मद के लिए लेखा नीति संलग्न करना है।		

	चिह्नित निधि से निवेश		निवेश - अन्य	
अनुसूची 15 - निवेशों में से आय	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
(चिह्नित / धर्मदाय निधियों में से निवेश जिसका निधियों में आंतरित किया गया)				
1) ब्याज				
क) सरकारी सेक्युरिटी पर				
ख) बॉंड / डिबेन्चर				
2) डिविडेन्ड				
क) शेयरों पर				
ख) म्युचुवल फंड सेक्युरिटी पर				
3) किराया				
4) अन्य (उल्लेख करें)				
कुल	शून्य		शून्य	
चिह्नित / धर्मदाय निधियों को आंतरित				

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2004 को समाप्त आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(राशी रुपयों में)

अनुसूची 16 - रायल्टी, प्रकाशन, आदि से आय	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1) रायल्टी से आय	55747	22865
2) प्रकाशनों से आय	671246	485027
3) अन्य (उल्लेख करें)		
कुल	726993	507892

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1) अवैधिक जमाओं पर		
क) अनुसूची बैंकों में		
ख) अननुसूची बैंकों में		
ग) संस्थानों में		
घ) अन्य		
2) अवैधिक जमाओं पर	64401	29177
क) अनुसूची बैंकों में		
ख) अननुसूची बैंकों में		
ग) संस्थानों में		2835
घ) अन्य		
3) ऋणों पर		
क) कर्मचारी / स्टाफ		
ख) अन्य		
4) डेटार्स तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		
कुल	64401	32012
नोट : स्रोत पर घटाई गई कर की सूचना दें।		

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2004 को समाप्त आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(राशी रुपयों में)

अनुसूची 18 - अन्य आय	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1) आस्तियों के विक्रय पर लाभ		
क) अपनी आस्तियाँ		
ख) प्राप्त अनुदान से प्राप्त आस्तियाँ या निशुल्क आस्तियाँ	16501	35111
2) कार्योत्तर प्रोत्साहन कार्यान्वित		
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	782479	799940
4) विविध आय		
कुल	798980	835051

अनुसूची 19 - अंतिम वस्तुएँ तथा कार्य हो रही वस्तुओं पर बढावा / घटावा	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क) अंतिम स्टाक		
- पूरी की गई वस्तुएँ		
- कार्य हो रही वस्तुएँ		
ख) घटाएँ : आदि स्टाक		
- पूरे की कई वस्तुएँ		
- कार्य हो रही वस्तुएँ		
नेट बढ़ावा / घटाव (क-ख)	शून्य	शून्य

ह/-

लेखाधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान